उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून

अधिसूचना

अप्रैल 09, 2007

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007

सं0 एफ–(9)14/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2007/33 विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के साथ पठित धारा 181 में खण्ड (जेड पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः–

अध्याय –1 सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ :

(1) यह विनियम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2007 कहलाएगा।

(2) इन विनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह विनियम, सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.2 परिचय :

राज्य ग्रिड कोड (एस.जी.सी.) विद्युत के उत्पादन व आपूर्ति में स्वस्थ्य स्पर्धा को सुगम बनाते हुए, सर्वाधिक कुशल, विश्वसनीय, मितव्ययी व सुरक्षित तरीके से उत्तरी क्षेत्र ग्रिड प्रणाली के एक भाग, अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) को नियोजित, विकसित, अनुरक्षित व परिचालित करने के लिए अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में विभिन्न अभिकरणों व भागीदारों द्वारा अपनाये जाने वाले नियम, मार्गदर्शक व मानक नियत करता है।

1.3 उद्देश्य :

एस.जी.सी., तकनीकी नियमों के एक सेट को एक साथ लाता है तथा अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) का उपयोग कर रही या इससे जुड़ी सभी यूटिलिटीज को परिवेष्टित करता है तथा निम्नलिखित उपबन्धित करता है:

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(1) ऐसे सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं का प्रलेखन जो अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.ए.एस.टी.एस.) में विभिन्न उपयोगकर्ताओं के मध्य व साथ ही क्षेत्रीय व राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों के मध्य संबंधों को परिभाषित करते हैं।

(2) मितव्ययी व विश्वसनीय राज्य ग्रिड के परिचालन, अनुरक्षण, विकास व नियोजन का सरलीकरण करना।

(3) आई.ए.एस.टी.एस. के सभी उपयोग कर्ताओं पर लागू आई.ए.एस.टी.एस. के प्रचालन के सामान्य आधार को परिभाषित करते हुए विद्युत फायदाप्रद व्यापार का सरलीकरण करना।

1.4 परिधि व लागू होने की तिथि :

(1) ये विनियम उन सभी पक्षों पर लागू होंगे जो आई.ए.एस.टी.एस. के साथ जुड़ते हैं या उसका उपयोग करते हैं या एस.एल.डी.सी. सहित वे जो, एस.जी.सी. में परिभाषित सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं, जहां तक वे उस पक्षकार पर लागू होते हैं, का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

(2) आई.ए.एस.टी.एस. की संरचना के एक भाग के रूप में पारेषण अनुज्ञापी तथा इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि पर आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित उपयोगकर्ता को इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु अधिकतम एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगीः

(i) विनियम 3.6 के अनुसार एक संयोजन अनुबन्ध में शामिल होना।
(ii) विनियम 3.9.2 व 3.9.3 के अनुसार संरक्षण प्रणाली उपलब्ध कराना।
(iii) विनियम 3.12 के अनुसार संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।
(iv) विनियम 3.13 के अनुसार प्रणाली रिकॉर्डिंग उपकरण उपलब्ध कराना।
(v) विनियम 3.16(1) के अनुसार सिंगल लाईन डायग्राम विकसित करना।
(vi) विनियम 3.17(2) के अनुसार साईट का कॉमन ड्रॉइंग्स विकसित करना।
(vii) विनियम 6.1 के अनुरूप विकसित मीटरिंग कोड के अनुसार मीटर्स का अधिष्ठापन एवं प्रचालन।

(3) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, फ्री गवर्नर एक्शन से संबंधित उपबन्धों की लागू होने की तिथि, अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड में उपबंधित सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(4) खुली पहुंच का उपयोग कर रहे व्यक्ति जो आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़े हैं व/या इसका उपयोग करते हैं, आयोग द्वारा यदि कोई पारेषण खुली पहुंच विनियम तथा वितरण खुली पहुंच अधिनियम अधिसूचित किया गया है, का अनुपालन करेंगे।

1.5 भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता की संरचना :

इस एस.जी.सी. में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

अध्याय I: सामान्य

यह अध्याय वृहत रूप से इन विनियमों की परिधि व इनके लागू किये जाने तथा ग्रिड समन्वय समिति की संरचना व भूमिका को परिभाषित करती है।

अध्याय II: अन्तर–राज्यिक पारेषण के लिए योजना संहिता

यह अध्याय थोक ऊर्जा अन्तरण तथा सहबद्ध आई.ए.एस.टी.एस. की योजना और विकास में अंगीकार की जाने वाली नीतियों का उपबन्ध करता है। योजना संहिता भार पूर्वानुमान, उत्पादन उपलब्धता के लिए ऊर्जा प्रणाली के योजना अभिकरणों तथा विभिन्न भागीदारों के बीच अपेक्षित विस्तृत जानकारी आदान–प्रदान तथा भावी वर्षों का अध्ययन करने के लिए ऊर्जा प्रणाली योजना आदि को अभिलक्षित करती है। योजना संहिता, योजना प्रक्रिया के दौरान अंगीकार किये जाने वाले विभिन्न मानदण्डों को अनुबद्ध करता है।

अध्याय III : संयोजन शर्तें

यह अध्याय प्रणाली से संबंधित किसी भी अभिकरण या आई.ए.एस.टी.एस. का संयोजन चाहने वाले द्वारा प्रणाली की एकरूपता तथा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनुपालन किये जाने वाली न्यूनतम तकनीकी और डिजायन मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

(ए) आई.ए.एस.टी.एस. के संयोजन के लिए प्रक्रिया।
(बी) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची।

अध्याय IV: राज्य ग्रिड के लिए प्रचालन संहिता

यह अध्याय ग्रिड प्रचालन को दक्ष, सुरक्षित तथा विश्वस्त बनाए रखने के लिए प्रचालनात्मक युक्ति विहित करता है तथा इसमें निम्नलिखित खण्ड हैं:–

(ए) प्रचालन नीति।

(बी) प्रणाली सुरक्षा पहलू

यह अनुभाग उत्पादन कंपनियों और ग्रिड के सभी राज्यीय संघटकों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले साधारण सुरक्षा पहलुओं को विहित करता है।

(सी) **प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए मांग प्राक्कलन**

यह खण्ड विभिन्न संघटकों द्वारा दिन/सप्ताह/मास/वर्ष आगे के लिए अपनी प्रणाली के लिए मांग द्वारा प्राक्कलन विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन करता है जो प्रचालनात्मक योजना के लिए उपयोग किया जाएगा।

(डी) **मांग प्रबन्ध**

यह खण्ड फ्रीक्वेन्सी और कम उत्पादन में कृत्यों के रूप में प्रत्येक राज्य, संघटक द्वारा मांग नियंत्रण के लिए स्वीकार किये जाने वाली पद्धति को विहित करता है।

(ई) **आवधिक रिपोर्ट**

यह खण्ड फ्रीक्वेन्सी प्रोफाईल, वोल्टेज प्रोफाईल इत्यादि जैसे राज्य ग्रिड के प्रचलनात्मक पैरामीटरों की रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न उपबन्धों की व्याख्या करता है।

(एफ) **प्रचालनात्मक संपर्क**

यह खण्ड सामान्य प्रचालन और/या ग्रिड के संबंध में जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए अपेक्षा विहित करता है।

(जी) **आउटेज योजना**

यह खण्ड आउटेज के लिए प्रक्रिया विहित करता है।

(एच) **वसूली प्रक्रिया**

इस खण्ड में ब्लैक स्टार्ट तथा द्वीप समूह आदि को पुनः आरम्भ करने के लिए प्रमुख ग्रिड बाधाओं का अनुसरण करने के लिए स्वीकार किये जाने वाली प्रक्रियाएं अन्तर्विष्ट हैं।

(आई) **घटना की जानकारी**

यह खण्ड ऐसी प्रक्रियाओं को उपदर्शित करता है जिनके माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है और जानकारी का आदान–प्रदान किया जाता है।

अध्याय V: अनुसूचीकरण तथा प्रेषण संहिता

यह खण्ड आई.ए.एस.जी.एस., अन्य उपयोगकर्ताओं व राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर अन्तर–राज्यिक उत्पादन केन्द्र (एस.जी.एस.) जिसमें कम्प्लीमेन्टरी वाणिज्यिक तंत्र भी सम्मिलित है, के उत्पादन का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण करने के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

अध्याय VI: मीटरिंग संहिता

मीटरिंग कोड, संयोजन बिन्दु पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले वाणिज्यिक व परिचालनक उद्देश्य के लिए मीटरों में संस्थापन व परिचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं व

मानकों के विकास हेतु उपबन्ध करता है।

अध्याय VII: अन्तर–राज्यीय आदान–प्रदान

यह खण्ड अन्तर–राज्यीय लिंकों के प्रचालन के लिए विशेष प्रतिफल से सम्बन्धित है।

अध्याय VIII: एस.जी.सी. का प्रबन्धन

यह अध्याय समीक्षा/संशोधन हेतु प्रक्रिया व एस.जी.सी. के प्रबन्धन से संबंधित है।

1.6 अनुपालन :

(1) इन विनियमों के अध्याय–II, अध्याय– III व अध्याय– VI के उपबन्धों के साथ तथा ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के साथ पारेषण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन के अनुवीक्षण हेतु राज्य पारेषण यूटिलिटी उत्तरदायी होगी।

राज्य पारेषण यूटिलिटी किसी उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी के विरूद्ध अनुचित भेदभाव नहीं करेगा या अनुचित प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, इन विनियमों के अध्याय– IV व अध्याय– V के उपबन्धों के साथ तथा ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के साथ पारेषण प्रणाली अनुज्ञाप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन के अनुवीक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

राज्य पारेषण केन्द्र अनुज्ञाप्तिधारी के विरूद्ध अनुचित भेदभाव नहीं करेगा या अनुचित प्राथमिकता प्रदान नहीं करेगा।

(3) राज्य ग्रिड कोड के उपबन्धों व/या ऐसे उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के लगातार अपालन करने पर ऐसे मामलों की आयोग को रिपोर्ट की जाएगी।

(4) उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी या राज्य के किसी अन्य अनुज्ञाप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी (अन्तरप्रदेशीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त अन्य) या राज्य के उपस्टेशनों को जारी सभी निर्देश राज्य भार प्रेषण केन्द्र के माध्यम से जारी किये जाएंगे तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्देश, अनुज्ञाप्तिधारी या उत्पादक कम्पनी या उपस्टेशन के साथ उचित रूप से अनुपालित किये जाएं।

(5) राज्य भार प्रेषण केन्द्र एक राज्य घटक को ऐसे निर्देश दे सकता है तथा ऐसा पर्यवेक्षण व अनुवीक्षण करेगा जैसाकि समेकित ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने हेतु व ऊर्जा प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययता व दक्षता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा।

(6) ऊर्जा प्रणाली के परिचालन से जुड़े प्रत्येक पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी व उपयोगकर्ता इस विनियम के उपविनियम (5) के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(7) यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ग्रिड के सुरक्षित व एकीकृत परिचालन के सन्दर्भ में या इस विनियम के उपविनियम (5) के अधीन दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे निर्णय के लिए आयोग को संदर्भित किया जाएगा।

आयोग का निर्णय लंबित रहने पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देश का पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

(8) उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधों या इन उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुपालन में लगातार विफल रहने पर ऐसे उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी के संयत्र व/या उपकरण के विच्छेदन का कारण होगा।

(9) इस विनियम में समावेशित कुछ भी, किसी प्रकार से राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों या इन उपबन्धों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के, उपयोगकर्ताओं व पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन के अनुबीक्षण व प्रवर्तन की आयोग को प्रदत्त शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा।

1.7 फ्री गवर्नर कार्यवाही :

(1) सभी थर्मल व हाइड्रो (शून्य पौंडेज के अतिरिक्त) उत्पादक इकाईयां, आयोग द्वारा पृथक रूप, अधिसूचित तिथि से फ्री गवर्नर कोड में परिचालित होगी।

(2) उपरोक्त से कोई छूट केवल आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए संबंधित राज्य घटक/अभिकरण अग्रिम रूप से वाद फाईल करेंगे।

(3) गैस टर्बाइन/संयुक्त चक्र ऊर्जा संयत्र व न्यूक्लियर पावर स्टेशन, स्थिति को आयोग द्वारा समीक्षा किये जाने तक 3.10(3), 3.10(4), 4.2(5), 4.2(6), 4.2(7) व 4.2(8) विनियमों से छूट प्राप्त होंगे।

1.8 रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के लिए प्रभार/भुगतान :

रिएक्टिव ऊर्जा एक्सचेंजों के प्रभार/भुगतान हेतु दर, विनियम 5.6 में विनिर्दिष्ट योजना के अनुसार, ऐसी तिथि से प्रभावित व पैसे/के0वी0ए0आर0एच0 में ऐसी दर पर होगी व उसके पश्चात् प्रतिवर्ष पैसे/के0वी0ए0आर0एच0 की ऐसी दर से बढ़ेगी जैसा कि इस निमित्त आयोग द्वारा वर्णित की जाए।

1.9 छूट :

एस.जी.सी. के उपबन्धों से कोई छूट, केवल आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगी जिसके लिए अभिकरण को अग्रिम रूप से आयोग के समक्ष याचिका फाईल करनी होगी।

1.10 ग्रिड संहिता के अधीन बाध्यता :

इन विनियमों के उपबन्ध, अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी ग्रिड संहिता के अभिवर्णन में हैं न कि अल्पीकरण में। दोनों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में दूसरे प्रचलित रहेंगे। राज्य घटक/एस0एल0डी0सी0/अन्य अभिकरण, जब तक उनसे संबंधित हैं, ग्रिड संहिता के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

1.11 ग्रिड समन्वय समिति :

(1) ग्रिड समन्वय समिति का गठन, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा।

(2) ग्रिड समन्वय समिति निम्नलिखित मामलों के लिए उत्तरदायी होगीः

- (i) इन विनियमों व इन विनियमों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाना।
- (ii) इन विनियमों व इन विनियमों के अधीन विकसित नियमों व प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के मार्ग में उत्पन्न होने वाले मामलों के उपचारक उपायों का आंकलन व संस्तुति करना।
- (iii) अधिनियम व इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार राज्य ग्रिड संहिता की समीक्षा करना, तथा
- (iv) अन्य ऐसे मामले जो समय–समय पर आयोग द्वारा निर्देशित किये जाएं।

(3) ग्रिड समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश होगाः

- (i) राज्य पारेषण यूटिलिटी से एक सदस्य।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक सदस्य।
- (iii) राज्य व निजी स्वामित्व की उत्पादक कम्पनियों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रत्येक का एक सदस्य।
- (iv) राज्य पारेषण यूटिलिटी से अन्यथा राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।
- (v) राज्य में राज्य के स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।
- (vi) राज्य में निजी स्वामित्व वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य।
- (vii) राज्य में विद्युत का व्यापार करने वालों का एक प्रतिनिधि।
- (viii) पश्चिम क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य, तथा
- (ix) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग नामित करें।

परन्तु, समिति का अध्यक्ष, राज्य पारेषण यूटिलिटी से सदस्य होगा, ग्रिड समन्वय समिति का संयोजक, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सदस्य होगा। साथ ही यह भी कि, राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सामन्जस्य कर ग्रिड समन्वय समिति की कार्यप्रणाली को सुगम बनाएगी व प्रबंधित करेगी।

(4) ग्रिड समन्वय समिति के सदस्यों का चयन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगाः

(i) राज्य पारेषण यूटिलिटी का सम्बन्धित निदेशक, जिसके पास राज्य पारेषण यूटिलिटी के तकनीकी कार्यकलाप देखने का उत्तरदायित्व है, उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (ए) में संदर्भित सदस्य होगा।

(ii) उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (बी) में संदर्भित सदस्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र का मुखिया होगा जो महाप्रबन्धक के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा।

(iii) उपरोक्त उपविनियम (3) के खण्ड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) व (एच) में संदर्भित सदस्य, अपने संबंधित संगठन द्वारा नामित किये जाएंगे, जो संगठन, राज्य में सभी ऐसे संगठनों के मध्य से चक्रावर्तन अनुसार चयनित किये जाएंगे। ऐसे चक्रावर्तन अनुसार चुने गये प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल एक (1) वर्ष होगा।

परन्तु उपरोक्त समिति में प्रत्येक संगठन द्वारा नामित सदस्य अपने सम्बन्धित संगठन में एक वरिष्ठ पद सम्भाल रहा व्यक्ति होना चाहिए।

1.12 एस0एल0डी0सी0 का उत्तरदायित्व :

राज्य भार प्रेषण केन्द्र, अधिनियम व इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्धारित कार्यों को एक स्वतंत्र एवं भेदभाव रहित तरीके से निष्पादित करेगा।

किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (2) के प्रथम उपबन्ध के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र को परिचालित किये जाने की अवस्था में, उपर्युक्त तरीकों से कार्य निष्पादन हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाएगी।

1.13 राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विकसित की जाने वाली प्रक्रियायें :

इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य निष्पादन में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विकसित की गयी प्रक्रियायें व कार्यविधियां, जहां–कहीं लागू हों, निम्नलिखित पहलुओं हेतु स्पष्ट प्रावधान करेंगीः

(i) एस0एल0डी0सी0, ए0एल0डी0सी0 व राज्य घटकों की भूमिका व उत्तरदायित्व।
(ii) एस0एल0डी0सी0, ए0एल0डी0सी0 व राज्य घटकों के मध्य संवाद सुविधाएं।
(iii) एस0एल0डी0सी0, ए0एल0डी0सी0 व राज्य घटकों के मध्य सूचना प्रवाह।
(iv) राज्य भार प्रेषण केन्द्र या आयोग द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य पहलू।

किन्तु ऐसी प्रक्रियायें राज्य घटकों के साथ परामर्श कर विकसित की जाएंगी तथा इस एस0जी0सी0 की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु एस0जी0सी0 की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन हेतु एस0जी0सी0 के साथ सुसंगत होंगी, साथ ही यह भी कि ऐसी प्रक्रियायें तीन (3) माह के भीतर अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।

1.14 परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(ए) 'अधिनियम' से, संशोधनों को सम्मिलित कर विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है।

(बी) 'स्वचालित वोल्टेज रेग्यूलेटर' से उत्पादन टर्मिनलों पर मापित उत्पादन इकाईयों की वोल्टेज नियंत्रित करने के लिए निरन्तर कार्यरत स्वचालित एक्साइटेशन कंट्रोल प्रणाली अभिप्रेत है।

(सी)'लाभार्थी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. या खुली पहुंच वाले उपयोग कर्ताओं सहित बाइलेट्रल एक्सचेन्जेज में हिस्सेदारी है।

(डी) 'ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया' से आंशिक या पूर्ण ब्लैक आउट से वसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ई) थोक ऊर्जा पारेषण करार (बी.पी.टी.ए.) से पारेषण सेवाओं के उपबंध के लिए पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी और दीर्घकालिक ग्राहक के बीच वाणिज्यिक करार अभिप्रेत है।

(एफ) 'बी.आई.एस.' से भारतीय मानक ब्यूरो अभिप्रेत है।

(जी) 'कैपेसिटर' से रिएक्टिव ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रदान की गयी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।

(एच) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(आई) 'संयोजन करार' से अन्तर राज्यिक पारेषण प्रणाली के संयोजन व/या उपयोग से सम्बन्धित उल्लिखित निबंधनों के लिए करार अभिप्रेत है।

(जे) 'संयोजन बिन्दु' से वह बिन्दु अभिप्रेत है जिस पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारी का संयंत्र व/या उपकरण अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली को जोड़ते हैं।

(के) 'संगठक' से एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य का समझा गया वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आई. ए.एस.जी.एस. वाली उत्पादक कम्पनी, राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, खुली पहुंच वाले अभिकर्ता अभिप्रेत हैं।

(एल) 'मांग' से मेगावाट में सक्रिय ऊर्जा तथा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो एम.वी.ए.आर. में रिएक्टिव ऊर्जा की मांग अभिप्रेत है।

(एम) 'प्रेषण अनुसूची' से एक्स ऊर्जा संयत्र एम.डब्लू. तथा उत्पादन केन्द्र का एम.डब्लू.एच. आउटपुट अभिप्रेत है जिसका समय–समय पर ग्रिड को भेजे जाने के लिए अनुसूचीकरण किया जाना होता है।

(एन) 'डी.एफ./डी.टी. रिले' से ऐसा रिले अभिप्रेत है जो सिस्टम फ्रिक्वेन्सी (ओवरटाईम) के परिवर्तन की दर के विनिर्दिष्ट सीमा से ऊपर जाने पर परिचालित होता है तथा लोड शैडिंग प्रारम्भ करता है।

(ओ) 'व्यवधान रिकॉर्डर' से, किसी घटना के दौरान सिस्टम पैरामीटर के पूर्व चयनित डिजिटल व एनेलॉग मूल्यों का बर्ताव रिकॉर्ड करने की युक्ति अभिप्रेत है।

(पी) 'डाटा अर्जन प्रणाली (डी.ए.एस.)' से अवस्थान पर रिले/उपस्करों/प्रणाली पैरामीटरों को समय पर ऑपरेशन के अनुक्रम के अभिलेख के लिए प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।

(क्यू) 'निकासी अनुसूची' से ऐसा एक्स ऊर्जा संयत्र एम.डब्लू. अभिप्रेत है जिसे आई.ए.एस.जी.एस. या आई.एस.जी.एस. से वितरण अनुज्ञप्तिधारी या खुली पहुंच वाले उपयोगकर्ता, प्राप्त करने हेतु नियत हैं। इसमें समय–समय पर द्विपक्षीय आदान–प्रदान सम्मिलित है।

(आर) 'हकदारी' से आई.एस.जी.एस./आई.ए.एस.जी.एस. की संस्थापित क्षमता/आउटपुट क्षमता में लाभार्थी का अंश (मेगावाट तथा एम.डब्लू.एच. में) अभिप्रेत है।

(एस) 'घटना' से ग्रिड पर अनुसूचित या अयोजनाबद्ध घटना अभिप्रेत है जिसमें त्रुटि, दुर्घटना तथा ब्रेकडाउन सम्मिलित हैं।

(टी) 'घटना लॉगर (ई.एल.)' से घटना के दौरान अवस्थान पर रिले/उपस्करों के समय प्रचालन के क्रम को अभिलिखित करने के लिए प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।

(यू) 'एक्स ऊर्जा संयत्र' से सहायक खपत तथा ट्रांसफॉरमेशन हानियों में कटौती करने के पश्चात् उत्पादन केन्द्र का कुल एम.डब्लू./एम.डब्लू.एच. आउटपुट अभिप्रेत है।

(वी) 'त्रुटिनिर्धारक' से, उस दूरी को जिस पर खराब लाईन पड़ी हुई हो, मापने/उपदर्शित करने के लिए पारेषण लाईन के अंत में प्रदान की गयी युक्ति अभिप्रेत है।

(डब्लू) 'लचकदार प्रत्यावर्ती करेन्ट पारेषण' (एफ.ए.सी.टी.) से वह सुविधा अभिप्रेत है जो विनियमित की जाने वाली ए.सी. लाईनों पर ऊर्जा को प्रवाह करने में समर्थ बनाती है, लूपप्रवाह, लाईन लोडिंग आदि को नियंत्रित करती है।

(एक्स) 'तात्कालिक उपाय' से ऐसी घटना अभिप्रेत है जो ऐसे अभिकरणों के नियंत्रण से परे है जो पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं या जो उद्यम की युक्तियुक्त मात्रा के साथ देखे नहीं जा सकते हैं या निवारित नहीं किये जा सकेंगे तथा जो सारवान रूप से या तो अभिकरण द्वारा प्रभावित होते हैं या जो निम्नलिखित तक सीमित हैं:–

(i) दैवीय कार्य, प्राकृतिक प्रकोप जिसमें बाढ़, सूखा, भूकम्प तथा महामारी सम्मिलित है।

(ii) कोई सरकारी, घरेलू या विदेशी कार्य जिसमें घोषित या अघोषित युद्ध, पूर्विकताएं, संगरोध, नौकावरोध।

(iii) बलवे या सिविल युद्ध।

(iv) ग्रिड की असफलता जो अन्तर्वलित अभिकरण के कारण न हो।

(वाई) फोर्स्ड आउटेज' से उत्पादन यूनिट या किसी पारेषण सुविधा का ऐसा आउटेज अभिप्रेत है जो त्रुटि या किसी अन्य कारण से हो जिसकी योजना बनाई गयी हो।

(जेड) 'उत्पादन यूनिट' से ऐसा विद्युत उत्पादन यूनिट अभिप्रेत है जो उस ऊर्जा केन्द्र (संयोजन बिन्दु तक) जो उस टर्बो जनरेटर में प्रचालन से विशेषकर संबंधित हो, पर सभी संयत्रों व साधित्रों के साथ–साथ ऊर्जा केन्द्र के भीतर टर्बाइन से जुड़ा हो।

(एए) 'अच्छी उपयोगिता पद्धति' से कोई ऐसी प्रैक्टिस, पद्धति व कार्य अभिप्रेत है जो उस सुसंगत अवधि के दौरान विद्युत उपयोगिता उद्योग के महत्वपूर्ण भाग में लगी हुई है या अनुमोदित है जिससे युक्तियुक्त लागत पर अच्छे परिणाम की आशा की जाती है जिसमें अच्छी व्यवसाय पद्धति, विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा शीघ्रता सम्मिलित हो।

(बीबी) 'गवर्नर ड्रूप' से गवर्नर के प्रचालन के सम्बन्ध में 'गवर्नर ड्रूप' से प्रणाली फ्रीक्वेन्सी में प्रतिशतता ड्राप अभिप्रेत है जो शून्य से पूर्ण भार के उसके आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए फ्री गवर्नर के अधीन उत्पादन केन्द्र को भारित करेगा।

(सीसी) 'उच्च टेन्शन या एच.टी.' से भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ए.वी.) के अधीन 'उच्च' या 'अतिउच्च' के रूप में परिभाषित सभी वोल्टेज व तत्समान वोल्टेज श्रेणियां, जैसी कि अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार विनिर्दिष्ट की जाए, अभिप्रेत है।

(डीडी) 'स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आई.पी.पी.)' से ऐसी उत्पादन कंपनियां अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

(ईई) 'अन्तर–राज्यिक उत्पादन केन्द्र (आई.एस.जी.एस.)' से ऐसे केन्द्रीय/अन्य उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत हैं जिसमें दो या अधिक राज्यों का अंश है तथा जिनका अनुसूचीकरण आर.एल.डी.सी. द्वारा किया जाना है।

(एफएफ) 'अन्तर–राज्यिक उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.)' से एक राज्य/अन्य उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जो एल.ए.एस.टी.एस. से जुड़ा है, का उपयोग करता है तथा जिसका अनुसूचीकरण एस.एल.डी.सी. द्वारा किया जाना है।

(जीजी) 'अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.)' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैंः–

(i) एक राज्य के राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र को मुख्य पारेषण लाईन के माध्यम से विद्युत के प्रवहण के लिए कोई प्रणाली।
(ii) किसी मध्यवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्र में से होकर ऊर्जा का प्रवहण तथा ऐसे राज्य के भीतर प्रवहण जो ऊर्जा के ऐसे अन्तर–राज्यिक पारेषण के आनुषांगिक हैं।
(iii) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण।

(एचएच) अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली (आई.एस.टी.एस.)' से अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से इतर, विद्युत के पारेषण हेतु कोई प्रणाली अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैंः–

(i) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर मुख्य लाईन के माध्यम से विद्युत के प्रवहण के लिए कोई प्रणाली।
(ii) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्मित, उसके स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा प्रचालित, अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर ऊर्जा का पारेषण।

किन्तु, पारेषण प्रणाली व वितरण प्रणाली तथा उत्पादक स्टेशन व पारेषण प्रणाली के मध्य विभक्ति के बिन्दु की परिभाषा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के

खण्ड (बी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(आईआई) 'आई.ई.सी.' से अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रो तकनीकी आयोग अभिप्रेत है।

(जेजे) भार' से उपयोगिता/संस्थापन द्वारा उपयोग की गयी मेगावाट/एम.डब्लू.एच. अभिप्रेत है।

(केके) लो टेन्शन या एल.टी.' से भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम–2 के उपनियम (1) के खण्ड (ए.वी.) के अधीन 'उच्च' या 'अतिउच्च' के रूप में परिभाषित को छोड़कर अन्य सभी वोल्टेज तथा अधिनियम की धारा 185 की उपधारा (2) के खण्ड (सी) के अनुसार विनिर्दिष्ट रूप में तत्समान वोल्टेज वर्गीकरण, अभिप्रेत है।

(एलएल) 'अधिकतम निरन्तर रेटिंग (एम.सी.आर.)' से उस उत्पादन यूनिट की सामान्य रेटिंग पूर्ण भार एक डब्लू आउटपुट क्षमता अभिप्रेत है जो विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर जारी रखी जा सकती है।

(एमएम) राष्ट्रीय ग्रिड' से देश का ऐसा सम्पूर्ण अन्तरसंयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय ग्रिडों के अन्तर–संयोजन के पश्चात् अन्तर्वलित होगा।

(एनएन) 'कुल निकासी अनुसूची' से कुल पारेषण हानियों (प्राक्कलित) में कटौती करने के पश्चात् लाभार्थी की निकासी अनुसूची अभिप्रेत है।

(ओओ) 'प्रचालन' से प्रणाली के प्रचालन से संबंधित अनुसूचित या योजनाबद्ध कार्यवाही अभिप्रेत है।

(पीपी) 'प्रचालन रेंज' से फ्रीक्विेन्सी और वोल्टेता की ऐसी प्रचालन रेंज अभिप्रेत है जो प्रचालन कोड के अधीन विर्निदिष्ट है।

(क्यूक्यू) 'राज्य पूल लेखा' से (i) उन अनुसूचित विनिमय (राज्य यू.आई. लेखा) से संबंधित भुगतान या (ii) रिएक्टिव एनर्जी विनिमय जैसी स्थिति हो, के लिए लेखा, अभिप्रेत है।

(आरआर) रिएक्टर से ऐसी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है जो विशेषकर रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजायन की गयी हो।

(एसएस) 'प्रादेशिक ऊर्जा समिति' से उस क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत ऑपरेशन को सुकर बनाने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र हेतु केन्द्रीय सरकार के संकल्प द्वारा स्थापित एक समिति अभिप्रेत है।

(टीटी) 'आर.पी.सी. सचिवालय' से आर.पी.सी. का सचिवालय अभिप्रेत है।

(यूयू) 'राज्य ऊर्जा लेखा (एस.ई.ए.)' से 'केपेसिटी प्रभार', 'ऊर्जा प्रभार', 'यू.आई. प्रभार' व 'रिएक्टिव प्रभार' की बिलिंग व निपटान हेतु एक राज्य ऊर्जा लेखा अभिप्रेत है।

(वीवी) 'राज्य ग्रिड' से राज्य के विद्युत नेटवर्क से जुड़ा संपूर्ण समक्रमिक अभिप्रेत है जो आई.ए.एस. टी.एस., आई.ए.एस.जी.एस. तथा अन्तर राज्य प्रणाली से बना है।

(डब्लूडब्लू) 'प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र' (आर.एल.डी.सी.) से अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।

(एक्सएक्स) 'शेयर' से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आई.एस.जी.एस. में फायदाग्राही का प्रतिशतता शेयर या जो आई.एस.जी.एस. व इससे फायदा ग्राही के मध्य तय हुआ हो, अभिप्रेत है।

(वाईवाई) 'एकल लाईन डायग्राम' ऐसा डायग्राम अभिप्रेत है जो एच.वी./ई.एच.वी. साधित्रों का योजनाबद्ध प्रतिरूपण व इसकी संख्या तथा लेबल वाली संख्या को प्रदर्शित करने वाले सभी बाह्य सर्किट संयोजन, अभिप्रेत हैं।

(जेडजेड) 'साइट कॉमन रेखाचित्र' से प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए तैयार ऐसा रेखाचित्र अभिप्रेत है जिसमें ले–आउट रेखाचित्र, विद्युत ले–आउट रेखाचित्र, सामान्य संरक्षण/नियंत्रण रेखाचित्र और सामान्य सेवा रेखाचित्र सम्मिलित हैं।

(एएए) 'स्पिनिंग रिजर्व' से 50 एच.जैड. की मानक दर फ्रीक्वेन्सी पर, कुछ रिजर्व मार्जिन के साथ उत्पादक क्षमता अभिप्रेत है जो प्रणाली के समकालिक होती है तथा प्रेषण अनुदेश के अनुसरण में या फ्रीक्वेन्सी ड्राप के प्रत्युत्तर में तत्काल सूचना पर उत्पादन वृद्धि हेतु तैयार रहती है।

(बीबीबी) 'एस.ई.बी.' से राज्य विद्युत बोर्ड जिसमें राज्य विद्युत विभाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(सीसीसी) 'एस.ई.आर.सी.' से राज्य विद्युत नियामक आयोग, अभिप्रेत है।

(डीडीडी) 'राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.)' से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है।

(ईईई) 'राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू.)' से ऐसा बोर्ड या सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अभिहित की गयी है।

(एफएफएफ) 'स्टेटिक वी.ए.आर. कंपनसेटर या सिंक्रोनुअस कन्डेन्सर' से उत्पादन के प्रयोजन के लिए या रिएक्टिव ऊर्जा को समामेलित करने के लिए डिजायन की गयी विद्युत सुविधा अभिप्रेत है।

(जीजीजी) 'क्षेत्र–भार प्रेषण केन्द्र' से, राज्यग्रिड के अनुवीक्षण व नियंत्रण हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्यालय व सहायक सुविधाएं जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा भविष्य में स्थापित हो, से अभिप्रेत हैं।

(एचएचएच) 'समय ब्लॉक' से प्रत्येक 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए विशेष ऊर्जा मीटर विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों तथा मात्राओं को प्रारंभिक प्रथम समय ब्लॉक व 00.00 घण्टे के साथ अभिलिखित करते हैं।

(आईआईआई) 'पारेषण योजना मानदण्ड' से पारेषण प्रणाली की योजना या डिजायन के लिए सी. ई.ए.द्वारा जारी नीति, मानक तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत हैं।

(जेजेजे)'अंडर फ्रीक्वेन्सी रिले' से ऐसा रिले अभिप्रेत है जो तब परिचालित होता है जब प्रणाली फ्रीक्वेन्सी एक विनिर्दिष्ट सीमा से नीचे चली जाती है तब यह लोड शेडिंग प्रारम्भ कर देता है।

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(केकेके) 'उपयोगकर्ता' से आई.ए.एस.टी.एस. का उपयोग करने वाले व्यक्ति/अभिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए एस.जी.सी. के विभिन्न खण्डों में प्रयुक्त पद अभिप्रेत है जो एस.जी.सी. के प्रत्येक खण्ड में व विशिष्ट रूप से पहचाने गये हैं।

(आईआईआई) यहां उपयोग किये गये शब्द व अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं किये गये हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में नियत किया गया है।

अध्याय 2 – अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु योजना संहिता

इस अध्याय में अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का समावेश है।

2.1 परिचय :

योजना संहिता, राज्य ग्रिड व अन्तर्राज्यीय संपर्कों की योजना में लागू की जाने वाली नीतियों व प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करती है।

2.2 उद्देश्य :

योजना संहिता के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(1) उन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं व मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करना जिनका उपयोग आई.ए.एस.टी.एस. व अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों की योजना व विकास में किया जाएगा।

(2) आई.ए.एस.टी.एस. के किसी प्रस्तावित विकास में सभी राज्य संघटकों व अभिकरणों के मध्य सामन्जस्य को प्रोन्नत करना।

(3) आई.ए.एस.टी.एस. की योजना व विकास में राज्य के सभी संघटकों व अभिकरणों के मध्य कार्यविधि व सूचना का आदान–प्रदान करना।

2.3 परिधि :

योजना संहिता आई.ए.एस.टी.एस. के विकास में संलिप्त तथा इसका उपयोग कर रहे व/या इससे जुड़े एस.टी.यू., अन्य राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.) पर लागू होता है। यह योजना संहिता आई.ए.एस.टी.एस. को/से ऊर्जा के पारेषण व/या उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादक कम्पनियों, आई.पी.पीज., खुली पहुंच वाले उपयोगकर्ता व अन्य अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होती है।

2.4 योजना नीति :

(1) एस.टी.यू., अन्तर्राज्यीय योजनाओं समेत मुख्य अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की पहचान हेतु अपेक्षाओं के अनुसार समय–समय पर योजना प्रक्रिया बनाएगी जो कि प्राधिकरण द्वारा विकसित स्वरूप योजना के साथ उचित बैठेगी।

(2) मुख्य अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त एस.टी.यू. समय–समय पर प्रणाली को सशक्त करने की योजना बनाएगी जिनकी आवश्यकता ऊर्जा अन्तरण में अवरोधों को दूर करने तथा ग्रिड के सम्पूर्ण प्रदर्शन को सुधारने में होगी। योजना अध्ययनों के आधार पर चिन्हित प्रणाली को सशक्त करने वाली योजनाओं सहित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रस्तावों की ग्रिड समन्वय समिति की बैठकों में चर्चा, समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(3) उपरोक्त के आधार पर एस.टी.यू. एक पारेषण प्रणाली योजना तैयार करेगा जिसका प्रारूप राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(4) पारेषण प्रणाली योजना आई.ए.एस.टी.एस. योजना का विवरण देगी तथा इसमें सभी उपयोग कर्ताओं के लाभ हेतु प्रस्तावित अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाएं तथा प्रणाली को सशक्त करने की योजनाएं सम्मिलित होंगी।

परन्तु पारेषण प्रणाली योजना में न केवल अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों से सम्बन्धित जानकारी सम्मिलित होगी बल्कि अतिरिक्त उपकरणों, प्रवर्तकों, कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स, स्टैटिक वी.ए. आर. कम्पनसेटर्स तथा फ्लैगजिबल ऑल्टर्नेटिव करेन्ट पारेषण प्रणाली से सम्बन्धित जानकारी भी सम्मिलित होगी।

साथ ही यह भी कि पारेषण प्रणाली योजना में, चिन्हित की गयी अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर पारेषण योजनाओं व प्रणाली सशक्त करने की योजनाओं पर पिछली योजनाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य व प्राप्त प्रगति भी सम्मिलित होगी।

(5) राज्य पारेषण युटिलिटी, इन विनियमों के अधीन पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु ऐसी सूचना प्राप्त करेगी जैसी कि उसे राज्य संघटकों से अपेक्षित होगी जिसमें उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, प्रणाली आवर्धन व दीर्घकालिक भार पूर्वानुमान तथा सभी (स्वीकृत/लंबित) मुक्त प्रवेश हेतु आवेदन सम्मिलित हैं।

परन्तु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अपने संबंधित अनुज्ञपित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक भार पूर्वानुमान विकसित करने हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण संहिता में उपबंधित, भार पूर्वानुमान से संबंधित लागू उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

साथ ही यह भी कि राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने में, इस विनियम के अधीन उपबंधित सूचना पर विचार करेगा, किन्तु इसके द्वारा बाध्य नहीं होगा।

(6) राज्य पारेषण यूटिलिटी, इन विनियमों के अधीन पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित पर भी विचार करेगी।

(i) अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (ए) के उपबन्धों के अधीन पारेषण प्रणाली हेतु प्राधिकारी द्वारा संरचित योजनाएं।
(ii) प्राधिकारी की भारतीय विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण रिपोर्ट।
(iii) अधिनियम की धारा 73 में खण्ड (डी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानक।
(iv) अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी द्वारा संरचित पारेषण योजना।
(v) प्राधिकारी द्वारा जारी पारेषण योजना मानदण्ड व मार्गदर्शन।
(vi) क्षेत्रीय ऊर्जा समिति की संस्तुतियां/आदान, यदि कोई हैं।
(vii) आयोग द्वारा सुझाए गए डाटास्रोत/कोई अन्य जानकारी।

(7) सभी राज्य संघटक व अभिकरण, एस.टी.यू. को अपनी योजना संरचित करने व इसे अंतिम रूप देने में सहायता हेतु समय–समय पर इच्छित योजना डाटा की आपूर्ति करेंगे।

(8) योजना रिपोर्ट में अतिरिक्त पारेषण आवश्यकताओं पर एक अध्याय सम्मिलित होगा जिसमें न केवल राज्य के भीतर पारेषण लाईनों का बल्कि अतिरिक्त उपकरणों जैसे प्रवर्तक, कैपेसिटर, रिएक्टर इत्यादि का भी समावेश होगा।

(9) योजना रिपोर्ट, नई योजनाओं पर की गयी वास्तविक प्रगति व अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए की गयी कार्यवाही भी इंगित करेगी। ये रिपोर्ट आई.ए.एस.टी.एस. पर निवेश निर्णय/संयोजन निर्णय लेने हेतु रूचि लेने वाले किसी पक्ष को उपलब्ध होंगी।

(10) राज्य पारेषण यूटिलिटी प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक आयोग को आई.ए.एस.टी.एस. के लिए पारेषण प्रणाली योजना की एक प्रति भेजेगी तथा इसे अपनी इन्टरनेट वेब साइट में भी प्रकाशित करेगी। एस.टी.यू. भी इसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपलब्ध कराएगी।

(11) क्योंकि वोल्टेज प्रबन्धन की, ऊर्जा के राज्य से भीतर पारेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, कैपेसिटर्स, रिएक्टर्स, एस.वी.सी. व फ्लैक्जिबल ऑल्टरनेटिंग करेंट पारेषण प्रणाली (एफ.ए.सी.टी.एस.) की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2.5 योजना मानदण्ड :

(1) योजना मानदण्ड, सुरक्षा सिद्धान्त पर आधारित होंगे जिस पर आई.ए.एस.टी.एस. नियोजित है। सुरक्षा सिद्धान्त प्राधिकारी द्वारा दिये गये मार्गदर्शकों व पारेषण योजना मानदण्ड के अनुसार होंगे

किन्तु राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण प्रणाली योजना विकसित करते समय उपयुक्त प्रणाली जारी करेगी।

(2) प्रदेश के भीतर की पारेषण प्रणाली, एक सामान्य नियम के रूप में, निर्धारित राज्य परिचालन के दौरान उत्पादन के पुनः अनुसूचीकरण या लोड शैडिंग किये बिना निम्नलिखित आकस्मिकताओं के समक्ष सुरक्षित रहने व प्रतिरोधक क्षमतावान होनी चाहिएः–

(i) 110 के.वी./132 के.वी. डी./सी. लाईन की आउटेज या,
(ii) 220 के.वी. डी./सी. लाईन की आउटेज या,
(iii) 400 के.वी. एस./सी. लाईन की आउटेज या,
(iv) एकल अन्तः संयोजक प्रवर्तक की आउटेज या,
(v) एच.वी.डी.सी. बायपोल लाईन के एक पोल की आउटेज या,
(vi) 765 के.वी. एस./सी. लाईन की आउटेज

किन्तु उपरोक्त प्रासंगिकताएं दूसरी 110 के.वी./132 के.वी. डी./सी. लाईन या 220 के.वी. डी./सी. लाईन या दूसरे कॉरीडोर 400 के.वी. एस./सी. लाईन पूर्व प्रासंगिक प्रणाली की क्षीणता (योजनाबद्ध आउटेज की अवास्तविकता) पर विचार किया जाएगा।

(3) सभी उत्पादक यूनिटें अपनी रिएक्टर क्षमता के भीतर प्रचालित की जा सकेंगी तथा नेटवर्क वोल्टता को प्रोफाइल विनिर्दिष्ट वोल्टता सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाएगा।

(4) राज्य के भीतर की पारेषण प्रणाली, स्थिरता की हानि के बिना सर्वाधिक तीव्र एकल इनफीड की हानि के प्रतिरोध की क्षमता वाली होगी।

(5) उपरोक्त उपविनियम (2) में परिभाषित कोई एक घटना निम्नलिखित का कारण नहीं बनेगीः–

(i) आपूर्ति की हानि।
(ii) विनिर्दिष्ट सीमाओं से नीचे या ऊपर प्रणाली फ्रीक्वेन्सी का लम्बे समय तक चलने वाला परिचालन।
(iii) अस्वीकार्य उच्च या निम्न वोल्टेज।
(iv) प्रणाली की अस्थिरता।
(v) आई.ए.एस.टी.एस. की अस्वीकार्य अतिभारिता।

(6) सिवाय एच.वी.डी.सी. के, सभी उपस्टेशनों में प्रवर्तकों की उचित संख्या (न्यूनतम दो) व क्षमता प्रदान की जाएगी ताकि उपस्टेशन की सुदृढ़ क्षमता बनाए रखने के लिए अपेक्षित पर्याप्त प्रचुरता रहे। एच.वी.डी.सी. उपस्टेशनों में, किसी भी समय उपयोग के लिए कम से कम एक अतिरिक्त कनवर्टर/इनवर्टर प्रवर्तक रखा जाएगा।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के उद्देश्य हेतु, सुदृढ़ क्षमता कथन से अभिप्राय–किसी एक प्रवर्तक की आउटेज की स्थिति में उपस्टेशन पर उपलब्ध न्यूनतम प्रवर्तक क्षमता, होगा।

(7) राज्य पारेषण यूटिलिटी, राज्य के भीतर उत्पादक स्टेशन में स्विचयार्ड पर रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति सहित, आई.ए.एस.टी.एस. की रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति सहित, आई.ए.एस.टी.एस. की रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति हेतु योजना अध्ययन कराएगा।

2.6 योजना डाटा :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता, पारेषण योजना विकसित करने के उद्देश्य हेतु राज्य पारेषण यूटिलिटी को निम्नलिखित प्रकार का डाटा उपलब्ध करायेंगेः—

(i) मानक योजना डाटा
(ii) विस्तृत योजना डाटा

2.6.1 मानक योजना डाटा :

(1) मानक योजना डाटा में, उपयोगकर्ता/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विकास के कारण आई.ए.एस.टी.एस. पर प्रभाव की जांच करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी हेतु सामान्यतः पर्याप्त सम्भावित होने वाले विवरण का समावेश है।

(2) राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा उपयोगकर्ता, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा प्रदान किये गये मानक प्रारूप में, समय—समय पर राज्य पारेषण यूटिलिटी को निम्नलिखित मानक डाटा उपलब्ध करायेंगेः—

(i) प्रारंभिक परियोजना नियोजन डाटा।
(ii) वचनबद्ध परियोजना नियोजन डाटा, तथा
(iii) संयोजित नियोजन डाटा।

परन्तु, राज्य पारेषण यूटिलिटी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता को उचित समय प्रदान करने के पश्चात् उक्त प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि व आवर्तिता (अधिकतम एक वर्ष) प्रदान करेगी।

यह भी कि, राज्य पारेषण यूटिलिटी इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के भीतर उपर्युक्त डाटा प्रस्तुत करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी एक मानक प्रारूप विकसित करेगी तथा इसे अपनी इनटरनेट वैबसाईट पर व जो कोई व्यक्ति इसमें रूचि रखता हो, उसे उपलब्ध करायेगी।

साथ ही यह भी कि राज्य पारेषण यूटिलिटी, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत करने के लिए विकसित प्रारूप द्वारा मार्गदर्शित होगा।

2.6.2 विस्तृत योजना डाटा :

(1) विस्तृत योजना डाटा में, आई.ए.एस.टी.एस. पर उपयोगकर्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी विकास के प्रभाव का आंकलन करने के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा साधारण अनपेक्षित अतिरिक्त, अधिक विस्तृत डाटा का समावेश है।

(2) विस्तृत योजना डाटा, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा जब व जैसे निवेदन किया, उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

2.7 पारेषण योजना का कार्यान्वयन :

पारेषण लाईनों, अन्तः संयोजक प्रवर्तकों, रिएक्टर्स/कैपेसिटर्स व अन्य पारेषण एलीमेन्ट्स का वास्तविक कार्यक्रम एस.टी.यू. द्वारा, संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा। अपेक्षित समय संरचना में कार्यों का पूर्ण किया जाना, एस.टी.यू. द्वारा संबंधित अभिकरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय 3 – संयोजन शर्तें

3.1 परिचय :

न्यूनतम तकनीकी व डिजायन मानदण्ड में विनिर्दिष्ट संयोजन शर्तें जिनका कि आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित या संयोजन के इच्छुक उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व एस.टी.यू. द्वारा अनुपालन किया जाएगा। ये उन प्रक्रियाओं को भी नियत करती हैं जिनका एस.टी.यू.एफ. सहमत हुए संयोजन की स्थापना हेतु पूर्व शर्त के रूप में उपरोक्त मानदण्ड के साथ किसी अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

3.2 उद्देश्य :

संयोजन शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित की गयी हैं कि:–

(i) संयोजन हेतु प्राथमिक बातों का अनुपालन हो तथा साथ ही सभी अभिकरणों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार हो।

(ii) स्थापित होने पर कोई नया या संशोधित संयोजन न तो आई.ए.एस.टी.एस. से इसके संयोजन के कारण अस्वीकार्य प्रभावों से त्रस्त होगा न ही किसी अन्य संयोजित अभिकरण की प्रणाली पर अस्वीकार्य प्रभाव डालेगा।

(iii) सभी उपस्करों हेतु स्वामित्व व उत्तरदायित्व, जहां–कहीं नया संयोजन लगाया जाए, प्रत्येक स्थल हेतु एक अनुसूची (स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची) में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

3.3 परिधि :

संयोजन शर्तें, आई.ए.एस.टी.एस. के विकास में संलिप्त व इससे जुड़े सभी राज्य संघटक (एस.टी.यू., आई.ए. एस.जी.एस. इत्यादि) तथा किसी अन्य अभिकरण/अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होती है। यह संयोजन संहित उन सभी अभिकरणों पर भी लागू होती है जो आई.ए.एस.टी.एस. को/से ऊर्जा उत्पादित/पारेषित व/या उत्पादित/पारेषित करने की योजना बना रहे हैं। वितरण प्रणाली में अन्तःस्थापित उत्पादक यूनिटें जो आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित नहीं हैं, के लिए संयोजन शर्तों को, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.4 संयोजन मानक :

विद्युत संयत्रों, विद्युत लाईनों के निर्माण व आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजिता हेतु लागू तकनीकी मानक, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 के खण्ड (बी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।

परन्तु भारतीय विद्युत नियम, 1956 व प्राधिकारी के प्रचालित मार्गदर्शकों पर ही प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (बी) के अधीन विनियमों के अधिसूचित किये जाने तक विचार किया जाएगा।

3.5 सुरक्षा मानक :

विद्युत संयत्रों व विद्युत लाईनों के विनिर्माण, परिचालन व अनुरक्षण लागू अपेक्षाएं अधिनियम की धारा 73 खण्ड (सी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार होंगे।

किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 व प्राधिकारी के प्रचलित मार्गदर्शनों पर ही प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (सी) के अधीन विनियमों के अधिसूचित होने तक विचार किया जाएगा।

3.6 संयोजन हेतु प्रक्रिया :

(1) आई.ए.एस.टी.एस. से किसी अभिकरण के संयोजन से पूर्व, अनुपालन किये जाने वाली अन्य आपस में सहमत अपेक्षाओं के अतिरिक्त एस.जी.सी. में प्रदर्शित सभी आवश्यक शर्तें, अभिकरण द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए।

(2) आई.ए.एस.टी.एस. के संयोजन व/या उसके उपयोग की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करने या नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवेदन, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा राज्य पारेषण यूटिलिटी के पास जमा किये जाएंगे।

किन्तु, विनियम में उल्लिखित आवेदन हेतु मानक प्रारूप, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विकसित किया जाएगा तथा इन विनियमों की अधिसूचना के दो (2) माह के भीतर अपनी इन्टर्नेट वेब साईट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) ऊपर उपनियम (2) में उल्लिखित आवेदन–पत्र, निम्नलिखित विवरण के साथ जमा किया जाएगाः–

(i) प्रस्तावित संयोजन व/या उपान्तरण, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसकी प्रणाली संयोजन के लिए प्रस्तावित है, संयोजन बिन्दु संयोजित किये जाने वाले साधनों का विवरण या पहले के संयोजित साधित्रों का उपान्तरण तथा प्रस्तावित संयोजन के लाभार्थियों के प्रयोजन को दर्शित करने वाली रिपोर्ट।

(ii) संनिर्माण अनुसूची तथा लक्ष्य पूरा होने की तिथि।

(iii) यह पुष्टि कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों, भारतीय विद्युत नियमों तथा अधिनियम के अनुसरण में निर्मित ग्रिड संयोजन मानकों सहित विभिन्न मानकों का पालन करेगा।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है, को आवेदन की एक प्रति, राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र व राज्य के भीतर, ऐसे प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिनकी पारेषण प्रणाली के इससे प्रभावित होने की संभावना है, को अग्रसारित की जाएगी।

(5) राज्य पारेषण यूटिलिटी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है, किसी नये संयोजन की अनुमति से पूर्व उपयुक्त समझे गये ऊर्जा प्रणाली का अध्ययन करवाएगा।

(6) राज्य पारेषण यूटिलिटी, उपविनियम (2) के अधीन एक आवेदन की प्राप्ति से तीस (30) दिन के भीतर व उपविनियम (4) के अधीन चिन्हित पक्षों से प्राप्त सुझावों व टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्:–

(i) राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों या संशोधनों के साथ आवेदन स्वीकार करेगा।

(ii) यदि इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार आवेदन नहीं है तो कारण अभिलिखित कर उसे निरस्त कर सकता है।

(7) उपविनियम (2) के खण्ड (ए) के अनुसार आवेदन स्वीकार किये जाने की स्थिति में, राज्य पारेषण यूटिलिटी, आवेदक को एक औपचारिक प्रस्थापना देगी।

किन्तु, राज्य पारेषण यूटिलिटी को प्रस्थापना की एक प्रति उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अग्रसारित करनी होगी।

(8) वोल्टेज का स्तर जिस पर आवेदक को आई.ए.एस.टी.एस. के साथ संयोजित होने की प्रस्थापना की गयी है, प्राधिकारी व राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा अपनाए गये प्रचलित मानदण्डों के अनुसार शासित होगा।

(9) संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता द्वारा अपेक्षित शर्तों के अनुपालन पर, राज्य पारेषण यूटिलिटी, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता को अधिसूचित करेगा कि उसे आई.ए.एस.टी.एस. के साथ संयोजित किया जा सकता है।

(10) जिसकी प्रणाली में संयोजन चाहा गया है वह आवेदक व उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक के प्रस्ताव के स्वीकार होने पर संयोजन करार को अंतिम रूप देगा।

परन्तु, उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन करार की एक प्रति राज्य पारेषण यूटिलिटी को उपलब्ध करानी होगी।

साथ ही यह भी कि, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को भी उपर्युक्त संयोजन करार की एक प्रति उपयुक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(11) आई.ए.एस.टी.एस. नेटवर्क व राज्य घटक/आई.ए.एस.जी.एस. के मध्य, शर्तों के संबंध में एक वर्ष की शिथिलता अनुमोदित है ताकि वर्तमान व्यवस्था जारी रहे। आई.ए.एस.जी.एस./राज्य घटकों के साथ संयोजन शर्तों पर पुनः बातचीत की प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि में पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि यह अवधारित हो जाता है कि संयोजन शर्तों के अनुपालन में और देरी हो सकती है तो आयोग आगे की शिथिलता पर विचार कर सकता है, इसके लिए संबंधित संघटक को एस.टी.यू. की संस्तुतियों/टिप्पणियों के साथ वाद दाखिल करना होगा। परिवर्तन में यदि कोई लागत आती है तो इसका व्यय संबंधित संघटक को उठाना होगा।

3.7 संयोजन करार :

(1) संयोजन करार में इसकी शर्तों व निबंधनों के भीतर उचित रूप से, आई.ए.एस.टी.एस. के उपयोगकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी के संयोजन से संबंधित निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः—

(i) राज्य ग्रिड संहिता के दोनों पक्षों द्वारा अपेक्षित अनुपालन की शर्त।

(ii) संयोजन, तकनीकी अपेक्षाओं व वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का विवरण।

(iii) आवश्यक पुनः प्रवर्तन या प्रणाली के विस्तार, डाटा संप्रेषण इत्यादि के कारण होने वाले पूंजीगत व्यय का विवरण तथा संबंधित पक्षों के मध्य उसका अभ्यंकन।

(iv) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची।

(v) संरक्षण व दूरी पता लगाने के लिए सामान्य सिद्धान्त का मार्गदर्शन।

(vi) संरक्षण प्रणालियां।

(vii) प्रणाली अभिलेख उपकरण।

(viii) संप्रेषण सुविधाएं।

(ix) राज्य पारेषण यूटिलिटी या आयोग द्वारा उपयुक्त समझी गयी कोई अन्य सूचना।

(2) राज्य पारेषण यूटिलिटी, दो (2) माह के भीतर एक आदर्श संयोजन करार विकसित करेगी तथा इसे आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।

3.8 ग्रिड मानदण्ड परिवर्तन :

3.8.1 सामान्य :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आई.ए.एस.टी.एस. से सेवा अपेक्षा कर रहे या उसे सेवा प्रदान कर रहे संयंत्र व उपकरण ऐसे विनिर्माण व डिजायन के हों कि ऐसे संयंत्रों व उपकरणों का परिचालन, उसके अभिहित मूल्य से प्रणाली फ्रीक्वेन्सी व वोल्टेज के तत्काल मूल्य में परिवर्तन द्वारा बाधित नहीं होगा तथा ऐसे संयंत्र व उपकरण आई.ए.एस.टी.एस. पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेंगे।

3.8.2 फ्रीक्वेन्सी परिवर्तन :

प्रणाली की रेटेज फ्रीक्वेन्सी 50.0 एच.जैड होगी तथा सामान्यतः प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर नियंत्रित होगी।

3.8.3 वोल्टेज परिवर्तन :

(1) वोल्टेज का परिवर्तन, प्राधिकारी द्वारा संरचित विनियमों में विनिर्दिष्ट वोल्टेज रेन्ज से अधिक नहीं होगा।

(2) उप पारेषण व वितरण में संलग्न अभिकरण, संयोजित होने पर रिएक्टिव समर्थन के लिए आई.ए.एस.टी.एस. पर निर्भर नहीं होगा। अभिकरण एस.टी.यू. के साथ विशिष्ट रूप से सहमत होने तक अपनी पूर्ण ऊर्जा अपेक्षा को पूरा करने के लिए अपने पारेषण व वितरण नेटवर्क में अपेक्षित रिएक्टिव प्रतिपूर्ति का आंकलन करेगा व इसे प्रदान करेगा।

3.9 संयोजन बिन्दुओं पर उपस्कर :

3.9.1 उपस्टेशन उपस्कर

(1) सभी अति उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) उपस्टेशन, भारतीय मानक ब्यूरो/अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग/प्रचलित आचार संहिता द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे।

(2) सभी उपस्कर, अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग या भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन अपेक्षा के अनुरूप अभिकल्पित, विनिर्मित व परीक्षित किये जाएंगे।

(3) उपयोगकर्ता व आई.ए.एस.टी.एस. के मध्य प्रत्येक संयोजन, विशिष्ट संयोजन करार में राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा सुझाया गया कम से कम शॉर्ट सर्किट करेंट, संयोजन बिन्दु पर, रोकने की क्षमता वाले सर्किट ब्रेकर द्वारा नियंत्रित होगा।

3.9.2 त्रुटि दूर करने का समय :

(1) उपयोगकर्ता के उपस्कर से संयोजित आई.ए.एस.टी.एस. पर तीन फेज फॉल्ट (बस बार्स के समीप) तथा आई.ए.एस.टी.एस. से सीधे जुड़े उपयोगकर्ता के उपस्कर पर तीन फेज फॉल्ट (बस बार्स के समीप) के लिए, जब सभी उपस्कर उचित रूप से कार्य कर रहे हों तब प्राथमिक संरक्षण योजना हेतु त्रुटि दूर करने का समय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगाः–

(i) 800 के0वी0 श्रेणी व 400 के0वी0 के लिए 100 मिली0 सैकण्ड्स।

(ii) 220 के0वी0 व 132 के0वी0 / 110 के0वी0 के लिए 160 मिली0 सैकण्ड्स।

(2) उपरोक्त त्रुटि दूर करने की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गयी प्राथमिक संरक्षण प्रणालियों के विफल होने की स्थिति में, अपेक्षित पृथक्करण / संरक्षण हेतु संरक्षण सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कोई आई.ए.एस.टी.एस. से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है तो इसे आई.ए.एस.टी.एस. की ओर संरक्षण सहायता द्वारा त्रुटि दूर करने तक फॉल्ट को सहने योग्य होना चाहिए।

3.9.3 संरक्षण :

(1) विश्वसनीयता, चयनियता व संवेदनशीलता के साथ, फॉल्ट क्लियरेन्स के विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभी प्रकार के फॉल्ट्स आंतरिक / बाह्य के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण उपकरणों के पृथक्करण व अन्य पुर्जों को संरक्षित रखने के लिए, एस.टी.यू. के साथ सामन्जस्य कर, आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

आई.ए.एस.टी.एस. से जुडे सभी उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संयोजन करार में विनिर्दिष्ट रूप से संरक्षण प्रणाली प्रदान करेंगे।

(2) रिले सैटिंग समन्वय, क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय स्तर किया जाएगा।

3.10 उत्पादक यूनिट व ऊर्जा स्टेशन :

(1) एक उत्पादक यूनिट, विनिर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकल्पना सीमाओं की शर्त पर, उपरोक्त विनियम 3.8 पर इंगित प्रणाली फ्रीक्वेन्सी व वोल्टेज परिवर्तन रेन्ज के भीतर इसके सामान्य रेटेड एक्टिव / रिएक्टिव परिणाम की निरन्तर आपूर्ति के योग्य होनी चाहिए।

(2) एक उत्पादक यूनिट को, संयोजन करार में नियत किये अनुसार एक ए0वी0आर0, संरक्षण व सुविधा युक्तियां प्रदान की जाएंगी।

(3) प्रत्येक उत्पादक यूनिट में एक टरबाईन स्पीड गवर्नर लगाया जाएगा जिसमें 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की रेन्ज के भीतर एक पूर्ण ड्रूप विशिष्टता होगी तथा यह सदैव सेवा में रहेगा।

(4) प्रत्येक उत्पादक यूनिट, फ्रीक्वेन्सी फॉल्स के 105 प्रतिशत एम0सी0आर0 सीमित होने पर तुरन्त 5 प्रतिशत आउटपुट बढ़ाने की क्षमता योग्य होगी। पिछला एक डब्ल्यू स्तर (यदि बढ़ा हुआ आउटपुट स्तर सतत नहीं रह पाता है) 1 प्रतिशत प्रति मिनट से अधिक तीव्र नहीं होगा।

3.11 रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिपूर्ति :

(1) भार बिन्दुओं से समीप निम्न वोल्टेज प्रणालियों में जहां तक सम्भव हो, उपयोगकर्ता द्वारा पुनः सक्रिय ऊर्जा प्रतिपूर्ति व/या अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार विनिर्दिष्ट रेन्ज के भीतर आई.ए.एस.टी.एस. बनाए रखने के लिए तथा आई.ए.एस.टी.एस. को/से रिएक्टिव ऊर्जा के विनिमय की आवश्यकता को टाला जाएगा।

(2) संयोजन करार में नियत सीमाओं के भीतर अस्थाई अति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए लाईन रिएक्टर्स उपलब्ध कराये जाएंगे।

(3) उपयोगकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली अतिरिक्त पुनः सक्रिय प्रतिपूर्ति, कार्यान्वयन हेतु संयोजन करार में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इंगित की जाएगी।

3.12 डाटा व संप्रेषण सुविधाएं :

विश्वसनीय व दक्ष कथन तथा आंकडे संसूचना प्रणाली सामान्य तथा प्रसामान्य शर्तों के अधीन आवश्यक संसूचना और आंकड़ा आदान–प्रदान तथा इस एस.एल.डी.सी. द्वारा ग्रिड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण अभिकरण अन्तरापृष्ठ अपेक्षाओं तथा एस.एल.डी.सी. को उपलब्ध कराये गये अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर फ्लो, वोल्टता व स्विचों/ट्रांसफॉर्मर टैप्स आदि टेलीमीटर ऊर्जा प्रणाली पैरामीटर को प्रणालियां प्रदान कराएंगे। यथास्थिति, एस.एल.डी.सी. के लिए फ्लो अप आंकडे सुकर बनाने के लिए सहबद्ध संचार प्रणाली संयोजन करार में एस0टी0यू0 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संबंधित अभिकरण द्वारा स्थापित की जाएगी। सभी अभिकरण एस0टी0यू0 के समन्वय से अपने–अपने प्रयोजन पर तथा संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट एस0एल0डी0सी0 पर अपेक्षित सुविधाएं प्रदान कराएगा।

3.13 प्रणाली अभिलेखन उपकरण :

(1) डाटा अर्जन/बाधा अभिलेखित्र/घटना लॉगर/खराबी ढूंढने वाला (जिसमें तुल्यकालन उपकरण भी सम्मिलित हैं) अभिलेखन आंकडे प्रणाली के सक्रिय कार्य निष्पादन को अभिलिखित करने के लिए आई.ए.एस.टी.एस. में प्रदान किये जाएंगे।

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(2) सभी उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तय समय अनुसूची के अनुसार संयोजन करार में यथाविनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित अभिलेखन उपकरण प्रदान कराएंगे।

3.14 प्रचलनात्मक सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियों में यथा उपदर्शित सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.15 स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियां :

(1) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची, संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें परियोजना या संयोजन, जिसमें सुरक्षा उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है, के निष्पादन से पूर्व प्रत्येक की स्वामित्व जिम्मेदारियों के ब्यौरे होंगे।

(2) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची असंगत संयोजन करार के अनुसरण में संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक संयोजन बिन्दु पर स्थापित संयंत्र तथा साधित्र की मद के लिए निम्नलिखित विवरण होगाः—

- (i) संयत्र / उपकरण का स्वामित्व।
- (ii) संयत्र / उपकरण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायित्व।
- (iii) संयत्र / उपकरण के परिचालन हेतु उत्तरदायित्व।
- (iv) संयत्र / उपकरण के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायित्व।
- (v) संयोजन बिन्दु पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों हेतु उत्तरदायित्व।

(3) स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची को तैयार करने में उपयोग किये जाने वाले प्रारूप सिद्धान्त व प्राथमिक प्रक्रिया, इन विनियमों की अधिसूचना में तीन (3) माह के भीतर राज्य पारेषण यूटिलिटी द्वारा तैयार किये जाएंगे तथा अनुपालन हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये जाएंगें।

किन्तु राज्य पारेषण यूटिलिटी को उपरोक्त प्रारूप, सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना अपनी इन्टरनेट वेबसाईट पर देनी होगी।

(4) आई.ए.एस.टी.एस. से जुड़ी व जुड़ने की योजना बना रहे सभी अभिकरण, आई.ए.एस.टी.एस. से संयोजित किये जा रहे उत्पादक स्टेशनों या उपस्टेशनों / लाईनों के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से पूर्व एस.एल.डी.सी. को वास्तविक समय भेजे जाने के लिए एस.एल.डी.सी. द्वारा विनिर्दिष्ट आर.टी.यू. व अन्य संसूचना उपकरण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3.16 एकल लाईन डायग्राम :

(1) राज्य पारेषण यूटिलिटी जो, संयोजित उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिए एक लाईन डायग्राम प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त सूचना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) एकल लाईन डायग्राम में सभी उच्च टेन्शन (एच.टी.) संयोजित उपकरण, सभी बाहरी सर्किट्स से संयोजन सम्मिलित है तथा इनका संख्याकरण, नामावली बनाना, लेबलिंग भी किया जाएगा। डायग्राम से संबंधित संयत्र का नक्शा सर्किट संयोजन, रेटिंग, नामावली संख्याकरण, आशयित है।

(3) किसी उपस्कर को परिवर्तित करने के प्रस्ताव की स्थिति में संबंधित उपयोगकर्ता को आवश्यक परिवर्तनों की सूचना देगा। परिवर्तन लागू हो जाने पर, संबंधित उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एकल लाईन डायग्राम को उचित रूप से अद्यतन किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति राज्य पारेषण यूटिलिटी व एस.एल.डी.सी. को उपलब्ध कराई जाएगी।

3.17 स्थल सामान्य रेखाचित्र :

(1) प्रत्येक संयोजन बिन्दु हेतु एक स्थल सामान्य रेखाचित्र तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगीः–

(i) स्थल नक्शा।
(ii) विद्युत नक्शा।
(iii) संरक्षण/नियंत्रण का विवरण, तथा
(iv) सामान्य सेवाएं रेखाचित्र।

आवश्यक विवरण, अभिकरणों द्वारा एस.टी.यू. को प्रदान किये जाएंगे।

(2) प्रत्येक संयोजन बिन्दु पर अपनी प्रणाली/सुविधा के संबंध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता द्वारा विस्तृत रेखाचित्र बनवाए जाएंगे तथा उनकी एक प्रति क्रमशः संबंधित उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) स्थल सामान्य रेखाचित्र के मामले में यदि, संयोजन बिन्दु पर अपनी प्रणाली/सुविधा के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा यह पाया जाता है कि यह आवश्यक है तो ऐसे परिवर्तन का विवरण, यथाशीघ्र दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.18 स्थल पहुंच, स्थल परिचालक कार्यकलापों व अनुरक्षण मानकों की प्रक्रिया :

(1) संयोजन करार, आई.ए.एस.जी.एस./अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र पर एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के उपस्कर या विपर्ययेन हेतु स्थल पहुंच, स्थल परिचालन कार्यकलापों व अनुरक्षण मानकों के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी इंगित करेगा।

(2) संयोजन स्थल का स्वामी उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उन दूसरे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता को अपेक्षित सुविधाएं व उचित पहुंच प्रदान कराएगा जिनका संस्थापन, परिचालन, अनुरक्षण इत्यादि के लिए संयोजन स्थल पर उपस्कर का संस्थापन होना प्रस्तावित है।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता को आज्ञापक पहुंच उपलब्ध है तथा संयोजन स्थल पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता के हितों की रक्षा के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं के मध्य लिखित प्रक्रियाएं व करार विकसित किये जाएंगे।

3.19 आई.ए.एस.टी.एस. को अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन :

आई.ए.एस.टी.एस. को अन्तर्राष्ट्रीय संयोजन हेतु प्रक्रिया तथा इसके लिये करार, प्राधिकारी व ऊर्जा मन्त्रालय (एम.ओ.पी.) के साथ परामर्श कर एस.टी.यू. द्वारा किया जाएगा।

3.20 राज्य ग्रिड की परिसम्पत्तियों की अनुसूची :

प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक आयोग को वार्षिक रूप से एस.टी.यू. पारेषण की परिसम्पत्तियों की एक अनुसूची प्रस्तुत करेगा जो कि उस वर्ष 31 मार्च को राज्य ग्रिड की संरचना उसके स्वामित्व को इंगित करते हुए है जिस पर एस.एल.डी.सी. की नियंत्रण जिम्मेदारी है।

अध्याय 4—परिचालन संहिता

4.1 उद्देश्य :

राज्य ग्रिड के समेकित परिचालन का प्राथमिक उद्देश्य, समस्त राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में फैले सारे विद्युत ऊर्जा नेटवर्क की संपूर्ण परिचालन अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता में वृद्धि करना है।

4.1.1 परिचालन नीति :

(1) सहभागी यूटिलिटी एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे तथा राज्य ग्रिड के लाभकारी व संतोषजनक परिचालन हेतु सर्वदा अच्छे परिचालक तरीके अपनाएंगे।

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(2) राज्य का सम्पूर्ण परिचालन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) से पर्यवेक्षित होगा। एस.एल.डी.सी. की भूमिका अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(3) सभी राज्य संघटक, समेकित परिचालन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा दायित्वों की समान भागीदारी हेतु इस परिचालक संहिता का पालन करेंगे।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ग्रिड को प्रबंधित करने के लिए विस्तृत आंतरिक परिचालक प्रक्रियाओं का एक समुच्चय विकसित, प्रलेखित व अनुरक्षित करेगा।

इन आंतरिक परिचालक प्रक्रियाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः–

(i) ब्लैक स्टार्ट प्रक्रिया

(ii) लोड शैडिंग प्रक्रिया

(iii) आइलैंडिंग प्रक्रिया

(iv) कोई अन्य प्रक्रिया जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उचित समझी जाए।

परन्तु, ऐसी प्रक्रियाएं, राज्य संघटकों के साथ परामर्श कर विकसित की जाएंगी तथा एस.जी.सी. से एकरूप होंगी ताकि एस.जी.सी. की अपेक्षाओं का पालन हो सके।

साथ ही यह भी कि ऐसी प्रक्रियाएं, आयोग के अनुमोदन हेतु तीन (3) माह के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

(5) क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, ऊर्जा संयंत्रों, 132 के0वी0 व उससे ऊपर के कोई अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों व उपयोगकर्ताओं के नियन्त्रण केन्द्रों सहित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के नियन्त्रण कक्षों की योग्य व पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा चौबीस घण्टे चौकसी की जाएगी।

4.2 प्रणाली सुरक्षा पहलू :

(1) सभी राज्य संघटकों का यह प्रयास होगा कि वे सदैव एक–दूसरे के साथ समकालिक घटनाओं में अपनी–अपनी ऊर्जा प्रणाली और ऊर्जा केन्द्रों का ऐसे प्रचालन करेंगे जिससे कि एक समकालिक प्रणाली में राज्य के भीतर सम्पूर्ण प्रणाली को परिचालित किया जा सके।

(2) ग्रिड का कोई भी भाग राज्य ग्रिड के शेष भाग से जान–बूझकर अलग नहीं किया जाएगा, सिवाय (1) आपातकालीन या ऐसी दशा में जिसमें इसे अलग किये जाने से सम्पूर्ण ग्रिड को रोका जा सकेगा व/या जो ऊर्जा प्रदाय को पहले बनाए रखने के लिए समर्थ हो सकेगा, (2) जब महंगे उपकरणाों की अधिक क्षति सन्निकट हो तथा अलग किये जाने से इससे बचा जा सके, (3) जब

ऐसे पृथक किये जाने का अनुदेश विशेषकर एस.एल.डी.सी. द्वारा दिया गया हो। ग्रिड की सम्पूर्ण तुल्यकालिता यथाशीघ्र बनाए रखी जाएगी। यदि परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हों प्रतिस्थापना प्रक्रिया का पर्यवेक्षण पृथक रूप से विरचित परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एस.एल.डी.सी. द्वारा किया जाएगा।

(3) राज्य ग्रिड का कोई भी महत्वपूर्ण तत्व किसी भी समय जान–बूझकर काम करते समय खोला नहीं जाएगा या हटाया नहीं जाएगा, सिवाय इस प्रकार का अनुदेश विनिर्दिष्टतः एस.एल.डी.सी. द्वारा दिया जाए या एस.एल.डी.सी. की विनिर्दिष्ट व पूर्वानुमति हो। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रिड तत्वों की सूची जिस पर उपरोक्त अनुबन्ध लागू होंगे, एस.एल.डी.सी. द्वारा संघटकों के परामर्श से तैयार किये जाएंगे तथा एस.एल.डी.सी. में उपलब्ध होंगे। यदि आपातकालीन परिस्थिति में ग्रिड के किन्हीं महत्वपूर्ण तत्वों को खोलना/हटाना आवश्यक है, तो इसकी संसूचना घटना के तुरन्त पश्चात् एस.एल.डी.सी. को दी जाएगी।

(4) राज्य ग्रिड के किन्हीं तत्वों की किसी भी प्रकार की ट्रिपिंग चाहे वह हाथ से हो या स्वचालित हो, की सूचना यथाशीघ्र अर्थात् घटना के दस मिनट के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र/अभिकरण द्वारा एस.एल.डी.सी. को दी जाएगी। कारण (अवधारित किये जाने तक) तय प्रतिस्थापन पर लगने के समय की सूचना भी दी जाएगी। तत्वों को यथास्थिति में लाने के लिए यथाशीघ्र सभी युक्तियुक्त प्रयास किये जाएंगे।

(5) सभी उत्पादक यूनिटें जो 500 एम.डब्ल्यू. या उससे ऊपर की हैं, अपने स्वामित्व, आकार तथा प्रकार को ध्यान में रखे बिना, के पास सदैव सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर होंगे। यदि 50 मे.वा. से अधिक किसी उत्पादन यूनिट में सामान्य प्रचालन में अपने गवर्नर के बिना प्रचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है, तो एस.एल.डी.सी. तत्काल कारण व ऐसे प्रचालन की अवधि के बारे में सलाह देगा। सभी गवर्नर्स 3 प्रतिशत व 6 प्रतिशत के बीच में लटके हुए होंगे।

(6) भार नियंत्रक स्वचालित टर्बाइन रन अप प्रणाली (ए.टी.आर.एस.) टर्बाइन पर्यवेक्षण नियंत्रण, समन्वित नियंत्रण प्रणाली आदि के भीतर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किसी भी रीति की सामान्य गवर्नर कार्यवाही को रोकने में नहीं किया जाएगा। कोई भी खराब बैंड व/या विलम्ब जान–बूझकर नहीं किया जाएगा।

(7) सभी उत्पादक यूनिटें जो अपनी अधिकतम निरंतर दर (एम.सी.आर.) के 100 प्रतिशत तक प्रचालित की जाती हैं, जब प्रणाली खराब होने के कारण फ्रीक्वेन्सी में कमी आती है, पांच प्रतिशत तक अतिभार को लगातार वहन करने में सामान्य समर्थ होगी (तथा किसी भी रूप में रोकी नहीं

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

जाएगी) ऐसी उत्पादक यूनिटें जो अपनी एम.सी.आर. के 100 प्रतिशत से ऊपर तक परिचालित की जाती हैं, फ्रीक्वेन्सी के अकस्मात् कम होने पर अपनी एम.सी.आर. के 105 प्रतिशत तक चलने में समर्थ होंगी (तथा इससे रोकी नहीं जाएंगी) उपरोक्त के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के पश्चात् उत्पादन यूनिटें प्रति मिनट लगभग एक प्रतिशत की दर पर अपने मूलस्तर पर कार्य करेंगी, यदि बढ़ाए गये स्तर पर निरन्तर प्रचालन कायम नहीं रहता है। उपरोक्त अपेक्षाओं का पालन न करने वाली 50 मेगावाट आकार की कोई भी उत्पादक यूनिट एस.एल.डी.सी. की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही (क्षेत्रीय ग्रिड के समकालिक) परिचालन में रखेगी। तथापि, संघटक को अन्य उत्पादक यूनिटों पर अतिरिक्त स्पिनिंग रिजर्व को बनाए रखने पर उसमें तत्स्थानी कमी कर सकती है।

(8) गवर्नर सैटिंग अर्थात् सभी उत्पादक यूनिटों के लिए आउटपुट में वृद्धि या कमी करने के लिए अनुपूरक नियंत्रण अपने प्रकार या आकार का ध्यान में रखे बिना चार्जिंग के लिए तय दर प्रतिमिनट प्रतिशत या विनिर्माताओं की सीमाओं के अनुसार होगी। तथापि, फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड से कम होती है तो सभी लागत भारित उत्पादक यूनिटें अपनी क्षमता के अनुसार तीव्र दर पर अतिरिक्त भार उठायेंगी।

(9) आपात कालीन या महंगे उपस्कर की हानि को रोकने के सिवाय, कोई भी संघटक एस.एल.डी.सी. को पूर्व सूचना दिये बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ से अधिक (100) मेगावाट तक अपनी उत्पादन यूनिट आउटपुट में अचानक कमी नहीं करेगा, विशेष कर जब फ्रीक्वेन्सी कम हो रही हो या 49.0 एच.जेड से कम हो। इसी प्रकार कोई भी संघटक एस.एल.डी.सी. को पूर्व सूचना दिये बिना या उसकी सहमति के बिना एक सौ (100) से अधिक मेगावाट तक अपने भार में अचानक कमी नहीं करेगा।

(10) सभी उत्पादक यूनिटों के पास समुचित सैटिंग के साथ प्रचालन में स्वचालित वोल्टता रेगुलेटर होंगे। विशेषकर यदि 50 मेगावाट से अधिक की उत्पादन यूनिटों से सेवा में अपनी ए.वी.आर. के बिना प्रचालित किये जाने की अपेक्षा की जाती है तो एस.एल.डी.सी. को कारण तथा अवधि के बार में तत्काल सूचना दी जाएगी व उसकी अनुमति प्राप्त की जाएगी। उत्पादन यूनिटों ए.वी.आर. में ऊर्जा प्रणाली स्थायीकारी (पी.एस.एस.) (जहां प्रदान किया जाए) समय–समय पर एस.टी.यू. द्वारा उस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी योजना के अनुसार अपने–अपने उत्पादन यूनिट स्वामी द्वारा पर्याप्त रूप से प्राप्त किया जाएगा। एस.टी.यू., पी.एस.एस. की जांच करने की अनुज्ञा देगा जब कभी समझाा जाए ट्यूनिंग करेगा।

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(11) संरक्षण के उपबन्ध तथा रिले सैटिंग का समन्वय आर.पी.सी. की संरक्षण समिति द्वारा पृथकतः अंतिम रूप से दी जाने वाली योजना के अनुसार सम्पूर्ण राज्य ग्रिड में आवधिक रूप से किया जाएगा।

(12) सभी राज्य संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे कि ग्रिड फ्रीक्वेन्सी सदैव 49.0–50.5 एच.जैड. बैण्ड के भीतर रहे तथा फ्रीक्वेन्सी रेन्ज ऐसी होगी जिससे आई.ई.सी. विनिर्देशों की पुष्टि करने वाले स्टीम टर्बाइन को निरन्तर व सुरक्षित रूप से प्रचालित किया जा सके।

(13) आर.पी.सी. द्वारा पृथक रूप से अंतिम रूप दी गयी योजना के अनुसार, राज्यग्रिड के फेल व पृथक्करण की संभावित परिणति होने वाली फ्रीक्वेन्सी घटत को रोकने के लिए जहां–कहीं लागू हो, अपनी–अपनी प्रणाली में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी व उपयोगकर्ता स्वचालित निम्न फ्रीक्वेन्सी व डी. एफ./डी.टी. रिले आधारित लोड शेडिंग/आइलैंडिंग योजना प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि आकस्मिकता के समय उत्पादक यूनिटों की कास्केड ट्रिपिंग रोकने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।

(14) उपयोगकर्ता व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप विनियम (13) में उल्लिखित अण्डर फ्रीक्वेन्सी व डी.एफ./डी.टी. रिले आधारित लोड शेडिंग/आईलैंडिंग योजनाएं सदैव चलती रहें।

परन्तु, राज्य भार प्रेषण केन्द्र की पूर्व सहमति के तीव्र आकस्मिकता होने पर रिलेज को अस्थायी रूप से सेवा से पृथक रखा जाएगा।

(15) राज्य पारेषण यूटिलिटी, अण्डर फ्रीक्वेन्सी रिलेज का समय–समय पर निरीक्षण करेगी तथा इसकी रिपोर्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देगी। केन्द्र, अण्डर फ्रीक्वेन्सी रिले व/या डी.टी./डी.एफ. रिले परिचालन का रिकॉर्ड रखेगा।

(16) सभी राज्य संघटक वोल्टता अचानक कम होने व प्रपाती जैसी परिस्थितियों से बचने के लिए ऊर्जा प्रणाली में प्रणाली संरक्षण स्कीमें (जिसमें अंतर ट्रिपिंग तथा रन बैक भी सम्मिलित है) की पहचान को सुकर बनाएंगे, उसका संस्थापन करेंगे तथा उन्हें लगाएंगे। ऐसी स्कीमों को एस.टी.यू. द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा उन्हें जारी रखा जाएगा। यदि इनमें से कोई काम नहीं करता है तो एस.एल.डी.सी. को तुरन्त सूचित किया जाएगा।

(17) ग्रिड में आंशिक/पूर्णतः विफल होने से उबरने के लिए प्रक्रियाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें खण्ड 4.8 के अधीन अपेक्षाओं के अनुसार आवधिक रूप से अद्यतन रखा जाएगा। इन प्रक्रियाओं का

सुसंगत विश्वसनीय व शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय संघटकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

(18) प्रत्येक राज्य संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक डाटा/जानकारी के आदान–प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक रूप से तथा अन्य संघटकों/एस.एल.डी.सी. के साथ पर्याप्त तथा विश्वसनीय संसूचना सुविधा प्रदान करेंगे। जहां कभी संभव हो, महत्वपूर्ण मार्गों, जैसेकि ए.एल.डी.सी. से एस.एल.डी.सी. पर सम्प्रेषण हेतु प्रचुरता व वैकल्पिक मार्ग बनाए रखे जाएंगे।

(19) क्षेत्रीय संघटक किसी ग्रिड बाधा/घटना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए एस.एल.डी.सी. को सूचना/आंकडे, जिसमें बाधा अभिलेखन/परिणामिक घटना, अभिलिखित आउटपुट आदि भी सम्मिलित हैं, भेजेंगे। राज्य संघटक ग्रिड की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए एस. एल.डी.सी. द्वारा अपेक्षित किन्हीं आंकड़ों/जानकारी को नहीं रोकेगा।

(20) सभी राज्य संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे कि ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित रेन्ज के भीतर रहेः–

वोल्टेज– (के.वी.आर.एम.एस.)		
सामान्य	अधिकतम	न्यूनतम
400	420	360
220	245	200
132	145	120
66	73	60

4.3 प्रचालन प्रयोजन हेतु मांग प्रांक्कलन :

4.3.1 परिचय :

(1) यह खण्ड एक्टिव ऊर्जा व रिएक्टिव ऊर्जा के लिए मांग प्रांक्कलन हेतु एस.एल.डी.सी. की प्रक्रियाओं व उत्तरदायित्वों को विहित करता है।

(2) मांग प्राक्कलन वर्तमान वर्ष के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर किया जाना होता है।

(3) एस.एल.डी.सी. समय–समय पर ऐतिहासिक डाटा व मौसम पूर्वानुमान से स्वयं अपनी मांग का आंकलन करेगा।

(4) जबकि परिचालन प्रयोजनों के लिए मांग–प्राक्कलन प्रारम्भ में दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर किया जाना होता है, एस.एल.डी.सी. पर क्रियाविधि व सुविधाएं, दैनिक परिचालन उपयोग हेतु ऑनलाईन आकलन की सुविधा शीघ्र संचालित की जाएगी।

4.3.2 उद्देश्य :

(1) इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक समय विशेष के लिए मांग का आंकलन करने के लिए एस.एल.डी.सी. को सक्षम बनाना है।

(2) मांग आकलन, परिचालन योजना उद्देश्यों हेतु प्रणाली अध्ययन संचालित करने के लिए एस.एल.डी.सी. को सक्षम बनाने के लिए हैं।

4.3.3 प्रक्रिया :

(1) एस.एल.डी.सी. परिचालक उद्देश्यों के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक मांग आकलन (एम, डब्ल्यू, एम.वी.ए.आर. व एम.डब्ल्यू.एच.) हेतु कार्य प्रणाली/क्रियाविधि विकसित करेगा तथा इसके लिए राज्य संघटकों का उत्तरदायित्व तय करेगा। इन आकलनों की प्राप्ति हेतु यह संबंधित तत्वों के मध्य सूचना के आदान–प्रदान हेतु अपनाये जाने वाली प्रक्रियाएं व समय लाइनें भी उपलब्ध करवाएगा।

(2) आकलन हेतु डाटा में लोड शैडिंग, पावर कट इत्यादि भी सम्मिलित होंगे। एस.एल.डी.सी., मांग आकलन के लिए एतिहासिक डाटा बेस भी रखेगा।

4.4 मांग प्रबन्धन :

4.4.1 प्रस्तावना :

यह खण्ड अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की दशा में, बाहरी अंतर संयोजनों से ऐसे अंतरण जो मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे हों या ग्रिड के किसी भाग पर ब्रेकडाउन या प्रचालन संबंधी समस्याओं (जैसे फ्रीक्वेन्सी, वोल्टता स्तर या थर्मल अधिकतम भार) की दशा में मांग की कटौती को प्रभावी बनाने एस.एल.डी.सी. द्वारा किये जाने वाले उपबंधों से संबंधित है।

4.4.2 मैनुअल मांग विसंयोजन :

(1) जब कभी प्रणाली फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड से कम हो, संघटक अपनी–अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से अपनी कुल निकासी को निर्बंधित करने को प्रयास करेंगे। जब फ्रीक्वेन्सी 49.0 एच. जेड से कम हो जाए तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए राज्य में अपेक्षित लोडिंग की जाएगी।

(2) कतिपय आकस्मिकताओं व/या प्रणाली की सुरक्षा को खतरे की दशा में एस.एल.डी.सी. कतिपय मात्रा तक निकासी में कमी करने के लिए उपयोगकर्ता को निर्देश देगा।

(3) प्रत्येक राज्य संघटक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो सामान्य व/या आकस्मिक परिस्थिति के अधीन एस. एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित मैनुअल विसंयोजन मांग करने में समर्थ होगी।

(4) एस.एल.डी.सी. द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दिये बिना, ग्रिड से संघटक निकासी कम करने के उपाय वापस नहीं किये जाएंगे जब तक कि फ्रीक्वेन्सी वोल्टेज निम्न स्तर पर रहती है।

4.5 आवधिक रिपोर्ट्स :

4.5.1 साप्ताहिक रिपोर्ट :

एस.एल.डी.सी. द्वारा राज्य के सभी संघटकों को एक साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की जाएगी तथा इसमें पिछले सप्ताह के लिए राज्य ग्रिड का प्रदर्शन सम्मिलित होगा। ऐसी साप्ताहिक रिपोर्ट्स न्यूनतम 12 सप्ताह के लिए एस.एल.डी.सी. की वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी। साप्ताहिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः–

(i) फ्रीक्वेन्सी विवरण।
(ii) चयनित उपस्टेशनों का वोल्टेज विवरण।
(iii) मांग व पूर्ति स्थिति।
(iv) मुख्य उत्पादन व पारेषण।
(v) पारेषण अवरोध।
(vi) एस.जी.सी. के सतत/पर्याप्त अपालन की सार्थकता।

4.5.2 अन्य रिपोर्टस :

(1) एस.एल.डी.सी. एक त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें अवरोध पैदा करने के उत्तरदायी अभिकरणों, विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाहियों के विवरण के साथ, सुरक्षा

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

मानकों व सेवा की गुणवत्ता की अपेक्षाओं, यदि कोई हैं, को पूरा न कर पाने के कारण, प्रणाली अवरोध सम्मिलित होंगे।

(2) एस.एल.डी.सी., सूचना/रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा जिसे आई.ए.एस.टी.एस. के निर्विघ्न संचालन हेतु एस.टी.यू. द्वारा मांगा जा सकता है।

4.6 परिचालन संपर्क :

4.6.1 प्रस्तावना :

(1) इस भाग में कुल ग्रिड प्रणाली पर परिचालन व/या घटनाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु अपेक्षायें सम्मिलित हैं जिनका निम्नलिखित पर प्रभाव रहा है या प्रभाव होगाः–

(i) राज्य ग्रिड
(ii) राज्य में आई.ए.एस.टी.एस.
(iii) राज्य संगठक की प्रणाली

(2) उपरोक्त सामान्य रूप से यह अधिसूचित करने के सम्बन्ध में है कि क्या होने की सम्भावना है या क्या हुआ है न कि इसके होने के कारणों को।

(3) परिचालक सम्पर्क कार्य, परिचालन स्टाफ को सूचना के तुरन्त अन्तरण की सुविधा हेतु एस.एल. डी.सी. व राज्य संगठकों का एक आज्ञापक अन्तनिर्मित अधिक्रमिक कार्य हैं। यह निर्णय लेने व कार्यवाही के अनुकूलन हेतु अपेक्षित निर्विष्टों को सहसम्बन्धित करेगा।

4.6.2 परिचालनात्मक सम्पर्क हेतु प्रक्रिया :

(1) राज्य ग्रिड पर परिचालन व घटनाएंः

(a) राज्य ग्रिड पर किसी परिचालन से पहले एस.एल.डी.सी. प्रत्येक राज्य संघटक को सूचित करेगा, जिसकी प्रणाली एक परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकती है या करेगी तथा किये जाने वाले परिचालन का विवरण देगा।

(b) राज्य ग्रिड किसी घटना के तुरन्त पश्चात् एस.एल.डी.सी. प्रत्येक राज्य संघटक को सूचना देगा, जिसकी प्रणाली, घटना के कारण परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकती है या करेगी तथा घटना में क्या हुआ है इसका विवरण देगा न कि कारणों का।

(2) संघटक की प्रणाली मे ंपरिचालन व घटनाएंः–

(a) संघटक की प्रणाली में कोई परिचालन होने से पूर्व, संघटक एस.एल.डी.सी. को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड कोई परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकता हो या करेगा, तथा

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

किये जाने वाले परिचालन का विवरण देगा।

(b) संघटक की प्रणाली पर किसी घटना के तुरन्त पश्चात् संघटक एस.एल.डी.सी. को सूचना देगा, यदि राज्य ग्रिड कोई परिचालनात्मक प्रभाव अनुभव कर सकता हो या करेगा तथा घटना में क्या हुआ इसका विवरण देगा न कि कारणों का।

4.7 आउटेज नियोजन :

4.7.1 परिचय :

(1) इस भाग में, राज्य प्रणाली परिचालन परिस्थितियों व उत्पादन एवं मांग के सन्तुलन को ध्यान में रखतु हुए समन्वित व अनुकूलक तरीके से राज्य ग्रिड के तत्वों हेतु आउटेज अनुसूची की तैयारी के लिए प्रक्रिया बताई गयी है (इन अनुबन्धों के अधीन सम्मिलित किये गये ग्रिड के तत्वों की सूची तैयार की जाएगी व एस.एल.डी.सी. व ए.एल.डी.सी. के पास उपलब्ध होगी)।

(2) उत्पादन आउटपुट व पारेषण प्रणाली, सुरक्षा मानक प्राप्त करने के लिए आउटेज को हिसाब में लेते हुए, पर्याप्त होनी चाहिए।

(3) वार्षिक आउटेज योजना, एस.एल.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम रूप से बनाई जाएगी तथा वर्ष के दौरान मासिक व त्रैमासिक रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी।

4.7.2 उद्देश्य :

(ए) सभी उपलब्ध संसाधनों पर विचार करते हुए व पारेषण अवरोधों तथा सिंचाई अपेक्षाओं का हिसाब लगाते हुए, राज्य ग्रिड के लिए एक समन्वित उत्पादन आउटेज कार्यक्रम प्रस्तुत करना।

(बी) ऊर्जा व एनर्जी की प्रणाली आवश्यकताओं में यदि कहीं कमी या बेशी है तो उसे न्यूनतम करना तथा सुरक्षा मानकों के भीतर परिचालन में सहायता करना।

(सी) ग्रिड परिचालन पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले राज्य ग्रिड के तत्वों पारेषण आउटेज को अनुकूल बनाना, किन्तु उत्पादन आउटेज अनुसूची, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता प्रणाली को हिसाब में रखते हुए तथा प्रणाली सुरक्षा मानक बनाए रखते हुए।

यह भाग एस.एल.डी.सी., ए.एल.डी.सी., पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों/उपयोगकर्ताओं, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू. सहित सभी राज्य संघटकों पर लागू होता है।

4.7.3 परिधि :

यह भाग सभी राज्य संधटकों, एस.एल.डी.सी., ए.एल.डी.सी. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/ उपयोगकर्ता, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू. पर लागू होगा।

4.7.4 आउटेज योजना प्रक्रिया :

(1) एस.एल.डी.सी., सभी राज्य संघटकों द्वारा दी गयी आउटेज अनुसूची के विश्लेषण, प्रारूप वार्षिक आउटेज अनुसूची तैयार करने व प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक आउटेज योजना को अन्तिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी/उपयोगकर्ता, आई.ए.एस.जी.एस. व एस.टी.यू., एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक 31 अक्टूबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित में अपने प्रस्तावित आउटेज कार्यक्रम उपलब्ध करायेंगे। इनमें प्रत्येक उत्पादन यूनिट/लाईन/आई.सी.टी. को पहचान, प्रत्येक आउटेज हेतु अधिमान्य तिथि तथा जहां–कहीं नम्यता हो वहां सर्वप्रथम प्रारम्भ तिथि व अंतिम समाप्ति की तिथि का समावेश होगा।

(3) एस.एल.डी.सी. तब, आर.पी.सी. सचिवालय द्वारा दिये गये राज्य हेतु प्रारूप आउटेज योजना, अनुकूल रूप में उपलब्ध संसाधन व सुरक्षा मानकों को बनाए रखने का हिसाब रखते हुए राज्य ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक अगले वित्त वर्ष हेतु एक प्रारूप आउटेज कार्यक्रम लाएगा। ऐसा आवश्यक प्रणाली अध्ययन करने के पश्चात् किया जाएगा तथा, यदि आवश्यक हो, तो आउटेज कार्यक्रम को पुनः अनुसूचित किया जाएगा। उत्पादन व भार आवश्यकता के मध्य पर्याप्त संतुलन, आउटेज कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए, सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) अंतिम आउटेज योजना की सूचना, आर.पी.सी. सचिवालय द्वारा तैयार, राज्य के लिए अंतिम आउटेज योजना पर विचार करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष विलम्बतः 15 फरवरी तक क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य संघटकों को दी जाएगी।

(5) उपरोक्त वार्षिक आउटेज योजना की, सभी पक्षों के साथ समन्वय कर, त्रैमासिक व मासिक आधार पर एस.एल.डी.सी. द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा जहां–कहीं आवश्यक हो समाशोधन किया जाएगा।

(6) प्रणाली में आपात स्थिति में जैसेकि उत्पादन में हानि, प्रणाली को प्रभावित करने वाला पारेषण का ब्रेकडाउन, ग्रिड के व्यवधान व प्रणाली का पृथक्करण होने पर एस.एल.डी.सी., नियोजित आउटेज के पूर्ण होने से पहले पुनः अध्ययन संचालित करा सकता है।

(7) एस.एल.डी.सी., निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति में, सांविधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, नियोजित आउटेज को आस्थगित करने हेतु अधिकृत हैः–

(i) बड़े ग्रिड व्यवधान (राज्य में पूर्ण ब्लैक आउट)

(ii) प्रणाली पृथक्करण

(iii) संघटक प्रणाली में ब्लैक आउट

(iv) प्रणाली में कोई अन्य घटना जिससे, प्रस्तावित आउटेज द्वारा प्रणाली सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

परन्तु, राज्य भार प्रेषण केन्द्र यथा शीघ्र आउटेज योजना में संशोधन हेतु उपयुक्त कारणों के साथ, संशोधित आउटेज योजना के संबंध में संबंधित राज्य संघटक को सूचित करना होगा।

(8) विस्तृत उत्पादन व पारेषण आउटेज कार्यक्रम, नवीनतम वार्षिक आउटेज योजना पर आधारित होना चाहिए (सभी अद्यतन समाशोधन के साथ)।

(9) प्रत्येक राज्य संघटक, एक आउटेज के उपयोग से पहले, एस.एल.डी.सी. से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4.8 बहाली प्रक्रियाएं :

(1) आंशिक अथवा पूर्ण ब्लैक आउट के अन्तर्गत राज्यग्रिड की बहाली हेतु विस्तृत योजनाएं व प्रक्रियाएं, एस.एल.डी.सी. द्वारा, सभी राज्य संघटकों के साथ परामर्श कर, विकसित की जाएंगी तथा वार्षिक रूप से समीक्षा/अद्यतन की जाएंगी।

(2) राज्य के भीतर प्रत्येक संघटक की प्रणाली के आंशिक/पूर्ण ब्लैक आउट के पश्चात् बहाली हेतु विस्तृत योजनाओं व प्रक्रियाओं को एस.एल.डी.सी. के साथ समन्वय कर संबंधित संघटक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रक्रियाओं की प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में एक बार समीक्षा, पुष्टि की जाएगी व/या संशोधन किया जाएगा। भिन्न–भिन्न उपस्टेशनों के लिए प्रक्रियाओं के कृत्रिम परीक्षण, एस.एल.डी.सी. को सूचना देकर, प्रत्येक छः माह में न्यूनतम एक बार संघटक द्वारा कराये जाएंगे।

(3) ब्लैक स्टार्ट सुविधा वाले उत्पादक स्टेशनों, अन्तर्राज्यिक/अन्तरक्षेत्रीय जोड़ों, समकालिक बिंदुओं व प्राथमिक रूप से बहाल किये जाने आवश्यक भारों की सूची एस.एल.डी.सी. द्वारा तैयार की जाएगी व उसके पास उपलब्ध होगी।

(4) ब्लैक आउट के पश्चात् बहाली प्रक्रिया के दौरान ग्रिड की तीव्रतम सम्भावित बहाली प्राप्त करने के लिए वोल्टेज व फ्रीक्वेन्सी हेतु आवश्यक सुरक्षा मानकों में कमी के साथ परिचालन हेतु एस.एल.डी.सी. को अधिकार है।

(5) बहाली प्रक्रिया हेतु आवश्यक सभी सम्प्रेषण मार्ग, ग्रिड में सामान्य कार्य की बहाली तक केवल परिचालनात्मक संसूचना हेतु उपयोग किये जाएंगे।

4.9 घटना की सूचना :

4.9.1 प्रस्तावना :

इस भाग में सभी राज्य संघटकों व एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी. को प्रणाली में रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं

की लिखित में रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।

4.9.2 उद्देश्य :

इस भाग का उद्देश्य घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सतत् दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु रिपोर्ट करने हेतु अपनाया जाने वाला मार्ग व आपूर्ति की जाने वाली सूचना रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं का विवरण देना है।

4.9.3 परिधि :

इस भाग में सभी संघटक, एस.एल.डी.सी. व ए.एल.डी.सी. सम्मिलित हैं।

4.9.4 उत्तरदायित्व :

(1) यह एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी. का उत्तरदायित्व होगा कि वे राज्य संघटकों/एस.एल.डी.सी. को घटना की रिपोर्ट करें।

(2) सभी राज्य सघटक व ए.एल.डी.सी. अनुवीक्षण, रिपोर्टिंग व घटना के विश्लेषण हेतु एस.एल.डी.सी. को सभी आवश्यक डाटा के संकलन व रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.9.5 रिपोर्ट योग्य घटनाएं :

एस.एल.डी.सी./राज्य संघटक से रिपोर्टिंग करने के लिए निम्नलिखित कोई एक धटना की अपेक्षा की जाती है :–

(i) सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
(ii) ग्रिड अनुशासनहीनता
(iii) एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों का अपालन
(iv) प्रणाली आइलैंडिंग/प्रणाली स्प्लिट
(v) राज्य ब्लैक आउट/आंशिक प्रणाली ब्लैक आउट
(vi) आई.ए.एस.टी.एस. के किसी तत्व पर संरक्षण विफलता
(vii) ऊर्जा प्रणाली अस्थिरता, तथा
(viii) राज्य ग्रिड के किसी तत्व के ट्रिप होने पर।

4.9.6 रिपोर्ट करने की प्रक्रिया :

(1) **एस.एल.डी.सी. को राज्य संघटकों द्वारा घटना की लिखित रिपोर्टिंग :**

कोई घटना होने पर जो कि प्रारम्भ में मौखिक रूप से राज्य संघटक या एक ए.एल.डी.सी. द्वारा एस.एल.डी.सी. को रिपोर्ट की गयी थी, संघटक/ए.एल.डी.सी., इस भाग के अनुसार ए.एल.डी.सी.

को एक लिखित रिपोर्ट देगा।

(2) **एस.एल.डी.सी. द्वारा राज्य संघटकों को घटनाओं की लिखित रिपोटिंग :**
कोई घटना होने पर जो कि प्रारम्भ में मौखिक रूप से एस.एल.डी.सी. द्वारा संघटक/ए.एल.डी.सी. को रिपोर्ट की गयी थी, एस.एल.डी.सी., इस भाग के अनुसार संघटक/ए.एल.डी.सी. को एक साप्ताहिक रिपोर्ट देगा।

(3) **लिखित रिपोर्ट का प्रारूप :**
यथास्थिति एस.एल.डी.सी. या एक राज्य संघटक/ए.एल.डी.सी. को एक लिखित रिपोर्ट भेजी जाएगी तथा यह घटना के निम्नलिखित विवरण के साथ मौखिक अधिसूचना की पुष्टि करेगीः–

(i) घटना का समय व तिथि,
(ii) अवस्थान
(iii) प्रत्यक्ष रूप से अंतर्वलित संयत्र व/या उपकरण
(iv) घटना का विवरण व कारण,
(v) पूर्वगामी परिस्थितियां,
(vi) मांग और/या बाधित उत्पादन (एम.डब्ल्यू में) व बाधित अवधि,
(vii) सभी सुसंगित प्रणाली डाटा जिसमें बाधा अभिलिखित धटना, घटना लॉगर, डी.ए.एस. आदि सहित अभिलेख करने वाले उपकरणों के अभिलेखों की प्रतियों सम्मिलित है।
(viii) समय पर ट्रिप होने के अनुक्रम,
(ix) रिले फ्लैग्स का विवरण, तथा
(x) उपचारात्मक उपाय

4) उत्पादक क्षमता को प्रभावित करने वाली घटनाएं या 1000 एम.डब्ल्यू से अधिक भार, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या उपयोगकर्ता द्वारा आयोग को लिखित में तुरन्त रिपोर्ट की जाएंगी।

घटना का संक्षिप्त विवरण, विस्तार व संभावित कारणों सहित एक संक्षिप्त दस्वावेज, ऐसी घटना होने के 24 घण्टों के भीतर आयोग को भेजा जाएगा।

अध्याय 5 – अनुसूची व प्रेषण संहिता

5.1 प्रस्तावना :

इस अध्याय में सम्मिलित हैं:–

(i) अनुसूची व प्रेषण में विभिन्न राज्य संघटकों व एस.एल.डी.सी. के मध्य उत्तरदायित्वों का

सीमांकन।

(ii) अनुसूची व प्रेषण हेतु प्रक्रिया।

(iii) रिएक्टिव ऊर्जा व वोल्टेज नियंत्रण तंत्र।

(iv) सम्पूरक वाणिज्यिक तंत्र (परिशिष्ट–1 में) जो कि उस तिथि से लागू होगा जो कि राज्य के भीतर ए.बी.टी. के परिचय हेतु आयोग द्वारा निर्धारित की जाए।

5.2 उद्देश्य :

यह संहिता, राज्य के आई.ए.एस.जी.एस./एस.एल.डी.सी./राज्य के फायदाग्राहियों के मध्य सूचना के प्रवाह की पद्धतियों के साथ दैनिक आधार पर संबंधित संघटकों को शुद्ध निकासी व राज्य के भीतर उत्पादक स्टेशनों (आई.ए.एस.जी.एस.) के अनुसूचीकरण हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवरण प्रदान करती है। प्रत्येक आई.ए.एस. जी.एस. द्वारा क्षमता की उद्घोषणा प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रत्येक लाभार्थी द्वारा निकासी अनुसूची, प्रत्येक आई. ए.एस.जी.एस. के लिए प्रेषण अनुसूची व प्रत्येक लाभार्थी के लिए निकासी अनुसूची तैयार करने हेतु एस.एल.डी.सी. को सक्षम करने हेतु आरक्षित है। यह रिएक्टिव ऊर्जा मूल्य निर्धारण हेतु तंत्र के साथ–साथ अनुसूची से विचलित होने के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था के साथ आई.ए.एस.जी.एस. व लाभार्थियों को, यदि आवश्यक हो, वास्तविक समय प्रेषण/निकासी अनुदेश पुनः अनुसूचीकरण जारी करने की कार्यविधि भी प्रदान करता है। इस अध्याय में समावेशित उपबंध, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 30 व 31 के अधीन एस.एल.डी.सी. को प्रदत्त शक्तियों से कोई भेदभाव किये बिना हैं।

5.3 परिधि :

यह संहिता एस.एल.डी.सी./ए.एल.डी.सी., आई.ए.एस.जी.एस., पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों/एस.टी.यू. व राज्य ग्रिड में अन्य फायदाग्राहियों पर लागू होगी।

5.4 उत्तरदायित्वों का सीमांकन :

(1) राज्य ग्रिड एक विनियोजित ऊर्जा मूल के रूप में परिचालित किया जाएगा (विकेन्द्रीकृत अनुसूचीकरण व प्रेषण के साथ) जिसमें उपयोग कर्ताओं को पूर्ण स्वायत्ता होगी तथा उपयोग कर्ताओं की अपने संबंधित ए.एल.डी.सी. के माध्यम से निम्नलिखित हेतु पूर्ण जिम्मेदारी होगीः–

(i) अपने स्वयं के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण (अपनी अंतःसंयोजित अनुज्ञप्तियों सहित),

(ii) अपने ग्राहकों की मांग विनियमित करना,

(iii) आई.ए.एस.जी.एस. से अपनी निकासी का अनुसूचीकरण (संबंधित संयंत्र की अपेक्षित क्षमता में अपने भाग के भीतर),

(iv) किन्हीं द्विपक्षीय आपसी विनिमय की व्यवस्था करना, तथा

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(v) निम्नलिखित मार्गदर्शकों के अनुसार राज्य ग्रिड से अपनी शुद्ध निकासी को विनियमित करना

(2) प्रत्येक फायदाग्राहियों की प्रणाली सैद्धांतिक रूप से नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में समझी तथा प्रचलित की जाएगी। आई.ए.एस.जी.एस. से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन तथा किसी द्विपक्षीय अंतरविनिमय प्रत्येक लाभार्थी की निकासी अनुसूची को प्रदान करेगा तथा इसे दैनिक आधार पर अग्रिम में अवधारित किया जाएगा। जबकि लाभार्थियों से साधारणतः अपने उत्पादन व/या ग्राहकों को विनियमित करने की आशा की जाएगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके तथा कठोर नियंत्रण आज्ञापक न हो। लाभार्थी अपने स्वविवेक से, निकासी अनुसूची से विचलित हो सकते है जब तक कि विचलन अनुज्ञेय सीमा से परे ह्रास हो जाने पर प्रणाली पैरामीटर का कारण नहीं बनता व/या अस्वीकार्य लाईन लोडिंग को प्रेरित नहीं करता।

(3) उपरोक्त लचीलेपन का प्रस्ताव इस दृष्टि से किया गया है कि सभी लाभार्थियों के पास राज्य ग्रिड से वास्तविक कुल निकासी को मिनट प्रति मिनट ऑन लाईन विनियमित करने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं। तथापि, कुल निकासी अनुसूची से विचलन की अनुसूचित अंतरविनिमय (यू.आई.) तंत्र के माध्यम से पर्याप्त कीमत तय की जानी है, जिसके लिए कीमत, आयोग द्वारा अन्तर्राज्यीय ए.बी.टी. प्रारम्भ किये जाने की तिथि से लागू होगी।

परन्तु, यह कि लाभार्थी अपने ए.एल.डी.सी. के माध्यम से अपनी–अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से उनकी कुल निकासी को निर्बंधित करने का सदा प्रयास करेंगे, जब कभी प्रणाली की फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड. से निम्न हो जाए। फ्रीक्वेन्सी के 49.0 एच.जेड. से निम्न हो जाने पर, अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित लाभार्थियों की अपेक्षित लोड शैडिंग की जाएगी।

(4) एस.एल.डी.सी./एस.टी.यू. अपने–अपने राज्यों के लिए अग्रिम में योजना के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन मांग प्रांकलन के बारे में हमेशा प्रयोग करेगा कि कैसे ग्रिड से अधिक निकासी लिये बिना अपने ग्राहक के भार को कैसे पूरा करेंगे।

(5) आई.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. से प्राप्त अध्यापेक्षा के आधार पर लाभार्थियों/ए.एल.डी.सी. द्वारा उनको दी गयी दैनिक अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा अपने उत्पादन केन्द्रों के पर्याप्त प्रचलन तथा रख–रखाव के लिए जिम्मेदार होगा जिससे कि ये केन्द्र बेहतर सम्भव दीर्घकालिक उपलब्धता और मितव्ययता की पूर्ति कर सकें।

(6) जबकि आई.ए.एस.जी.एस. से सामान्य रूप से यह आशा की जाएगी कि वे उनको दी गयी दैनिक सलाह अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन करें तथा कड़ाई से अनुसूचियों का पालन करना

आवश्यक नहीं है। राज्य को अनुज्ञात छूट के आधार पर आई.ए.एस.जी.एस. संयंत्र तथा प्रणाली के हालात पर निर्भर करते हुए दी गयी अनुसूचियों से भी विचलन कर सकेगा। विशेषकर वे अभाव की दशा में भी दी गयी अनुसूची से परे उत्पादन करने के लिए अनुज्ञात होंगे तथा प्रोत्साहित करेंगे।

तथापि, जब कभी राज्य के भीतर आयोग द्वारा ए.बी.टी. प्रारम्भ की जाएगी, एक्स ऊर्जा संयत्र उत्पादन अनुसूचियों से विचलन की कीमत यू.आई. तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रू‍ से तय की जाएगी।

परन्तु, यह कि जब फ्रीक्वेन्सी 50.5 से अधिक है तो वास्तविक कुल इन्जेक्शन उस समय के लिए अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा और, जब फ्रीक्वेन्सी 50.5 एच.जेड. है तब आई.ए.एस.जी.एस. (अपने स्वविवेक से) बढ़ी हुई फ्रीक्वेन्सी को निर्बंधित करने के लिए एस.एल.डी.सी. से सलाह का इंतजार किये बिना फ्रीक्वेन्सी को कम कर सकेगा। जब फ्रीक्वेन्सी 49.5 एच.जेड. से कम होती है तो सभी आई.ए.एस.जी.एस. पर (व्यस्ततम ड्यूटी करने वालों के सिवाय) उत्पादन को उस स्तर पर बढ़ाया जाएगा जिस स्तर पर वह एस.एल.डी.सी. से सलाह किये बिना कायम रख सकता है।

(7) तथापि, उपरोक्त में किसी के होते हुए भी एस.एल.डी.सी., आकस्मिकता अर्थात् लाईन/ट्रांसफॉर्मर की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता प्रणाली सुरक्षा को धमकी की दशा में ए.एल.डी.सी./आई.ए. एस.जी.एस. को अपनी निकासी/उत्पादन में वृद्धि करने/कमी करने का निर्देश दे सकेगा। ऐसे निर्देशों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। यदि स्थिति पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है और एस.एल.डी.सी. के पास विश्लेषण करने के लिए कुछ समय है तो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न दृष्टि या अल्पकालीन खुली पहुंच की अनुसरण में किसी ऊर्जा प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी कार्यवाही करने से पहले उपरोक्त अनुक्रम में पहले उसे दूर किया जाएगा जिससे प्रारम्भिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहकों को आई.ए.एस.जी.एस. से अनुसूचित प्रदाय प्रभावित होगा।

(8) ऐसे उत्पादन तथा पारेषण प्रणाली के सभी आउटेजों के लिए, जिससे राज्य ग्रिड पर प्रभाव पड़ेगा, सभी संघटक एक–दूसरे के साथ समन्वय करेंगे तथा एस.एल.डी.सी. (सभी अन्य मामलों में) के माध्यम से अग्रिम में पर्याप्त रूप से कल्पित आउटेज के लिए तथा ग्रिड समन्वय समिति (जी.सी.सी.) द्वारा पृथक रूप से तैयार प्रक्रियाओं के अनुसार ग्रिड समन्वय समिति (जी.सी.सी.) के माध्यम से समन्वय करेगा। विशेषकर, आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. अंश के निर्बंधन, जो फायदाग्राही पर लगाए जा सकते हैं (और जो एक वाणिज्यिक विविधा हो सकेगी) की योजना बेहतर रीति से पूर्ति करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी।

(9) राज्य संघटक, आई.ए.एस.जी.एस. / आई.एस.जी.एस. परियोजनाओं (उचित सरकार / आयोग द्वारा आवंटन के आधार पर, जहां लागू हो) अनुसूचित निकासी पैटर्न, टैरिफ, संदाय निबंधनों आदि में राज्य के अंशों की पहचान करने के लिए पृथक संयुक्त / विपक्षीय करार करेंगे। ऐसी सभी करार अनुसूची और राज्य ऊर्जा लेखांकन में किये जाने के लिए एस.एल.डी.सी. में फाईल किये जाएंगे। दीर्घकालिक / अल्पकालिक आधार पर अनुसूचित अंतर विनिमय के लिए संघटकों के बीच द्विपक्षीय कोई भी करार अंतर विनिमय अनुसूची को भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसे एस.एल.डी.सी. के पास अग्रिम में सम्यक रूप से फाईल किया जाएगा।

(10) सभी संघटकों को अनुसूचियों से अर्थात् अंतर विनिमय से फ्रीक्वेन्सी लिंक्ड भार प्रेषण और विचलन की कीमत की संकल्पना का पालन करना चाहिए (कीमत, राज्य के भीतर ए.बी.टी. के प्रारम्भ होने की तिथि से) संघटकों की सभी उत्पादन यूनिटें जब तक एस.एल.डी.सी. / ए.एल.डी.सी. द्वारा अन्यथा सलाह न दी जाए, एक संभव सीमा तक एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी किये गये स्थायी फ्रीक्वेन्सी लिंक्ड भार प्रेषण मार्ग दर्शन सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य रूप से प्रचलित किये जाने चाहियें।

(11) आई.ए.एस.जी.एस. के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निष्ठापूर्वक संयंत्र क्षमताओं, अर्थात् उनके बेहतर निर्धारण के अनुसार, को घोषित करे। यदि यह आशंका है कि वे अपनी घोषित क्षमता के आधार पर दी गयी अनुसूचियों से विचलित करने के लिए अनुध्यात संयत्र क्षमता को जान–बूझकर अधिक / कम घोषित करते हैं (और इस प्रकार से असम्यक् क्षमता प्रभार या अनुसूची से विचलन के लिए भार के रूप में धन कमाते हैं) तो एस.एल.डी.सी. आई.एस.एस.जी.एस. से आवश्यक बैकअप आंकड़ों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

(12) एस.टी.यू. वास्तविक कुल एम.डब्ल्यू.एच. अंतर विनिमय और एम.डब्ल्यू.ए. निकासी को अभिलिखित करने के लिए राज्य संघटकों या अन्य पहचाने गये स्थानों के बीच सभी अंतर संयोजनों पर विशेष ऊर्जा मीटर लगाएगा। लगाए जाने वाले मीटरों का प्रकार, मीटरिंग स्कीम, मीटरिंग क्षमता, जांच तथा व्यास मापन अपेक्षाएं तथा मीटरित आंकड़ों का प्रसार व संग्रहण, अधिनियम की धारा 54 (2) (डी) के अधीन प्राधिकारी द्वारा जारी मीटरों के संस्थापन व परिचालन हेतु विनियमों के अनुसार किया जाएगा। सभी संबंधित इकाईयों (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गये हैं) एस.टी.यू. / एस.एल.डी.सी. के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेने व पारेषित करने के लिए एस.एल.डी.सी. को आवश्यक सहायता देगी।

(13) एस.एल.डी.सी. उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर, 15 मिनट बाद प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. के वास्तविक कुल एम.डब्ल्यू.एच. इन्जेक्शन और प्रत्येक फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी की संगणना के लिए तथा राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। एस.एल.डी.सी. के द्वारा की गयी सभी संगणनाएं जांच और सत्यापन के लिए सभी संघटकों हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी। यदि किसी गलती/लोप का पता चलता है तो एस.एल.डी.सी. तत्काल पूरी जांच करेगा और त्रुटियों को दूर करेगा।

(14) एस.एल.डी.सी. जांच के लिए जारी किये जाने वाले प्रेषण तथा कुल निकासी अनुसूचियों से वास्तविक रूप से विचलन का आवधिक रूप पुनर्विलोकन करेगा चाहे कोई भी संघटक अनुचित कार्य या दुरभिसंधि संगलिप्त होता है। यदि ऐसे किसी कार्य का पता चलता है तो मामले को अन्वेषण/कार्यवाही के लिए एस.टी.यू. को रिपोर्ट किया जाएगा।

(15) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसा आपूर्ति क्षेत्र है जिसमें आई.ए.एस.जी.एस. अवस्थित है उसका आई.ए.एस.जी.एस. में प्रमुख शेयर है तो संबंधित पक्ष भार संबंधित ए.एल.डी.सी. को आई.ए.एस.जी.एस. के अनुसूचीकरण करने की जिम्मेदारी को समानुदेशित करने के लिए परस्पर करार (प्रचलनात्मक सुविधा के लिए) कर सकेंगे। ऐसे मामलों में एस.एल.डी.सी. की भूमिका संबंधित फायदाग्राहियों की कुल निकासी अनुसूचियों का अवधारण करते समय आई.ए.एस.जी.एस. के कारण ऊर्जा के अंतरराज्यिक विनिमय के लिए अनुसूची पर विचार करने हेतु सीमित होगी।

5.5 अनुसूची तथा प्रेषण प्रक्रिया :

(1) सभी प्रदेशान्तर्गत उत्पादक स्टेशन (आई.ए.एस.जी.एस.) व अन्तर–राज्यिक उत्पादक स्टेशन (आई.एस.जी.एस.) जिनमें आउटपुट में एक से अधिक फायदाग्राही का आवंटित/संविदागत शेयर है, सूचीबद्ध किये जाएंगे। परन्तु यह कि फायदाग्राहियों के मध्य आई.एस.जी.एस./आई.ए.एस.जी.एस. में राज्य के आवंटित शेयर का विभाजन उस अनुपात में जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए।

(2) प्रत्येक फायदाग्राही ऐसे सभी केन्द्रों के लिए (दिन के लिए अनुमानित एक्त ऊर्जा संयत्र एम.डब्ल्यू. क्षमता) ग (केन्द्र की क्षमता में फायदाग्राही का अंश) तक मेगावाट प्रेषण के लिए हकदार होंगे। हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की दशा में, (ट्रिप के लिए एम.डब्ल्यू.एच. उत्पादन क्षमता) ग (स्टेशनों की क्षमता में फायदाग्राहियों का अंश) के बराबर दैनिक एम.डब्ल्यू.एच. प्रेषण तक भी सीमित होंगे।

(3) प्रत्येक दिन 10:00 बजे तक आई.ए.एस.जी.एस. अगले दिन अर्थात् आगामी दिन 00:00 बजे से 24:00 बजे तक के लिए एस.एल.डी.सी. को स्टेशनवार एक्स ऊर्जा संयत्र मेगावाट और अनुमानित एम.डब्ल्यू.एच. क्षमता की सलाह देगा।

(4) आर.एल.डी.सी. द्वारा दिये गये विभिन्न आई.एस.जी.एस. में राज्य को हकदारी व प्रत्येक फायदाग्राही की तत्स्थानी एम.डब्ल्यू. व एम.डब्ल्यू.एच. हकदारों के साथ आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. की अनुमानित क्षमताओं की उपरोक्त जानकारी अगले दिन के लिए प्रत्येक दिन एस.एल.डी.सी. द्वारा अनुपालन किया जाएगा तथा 11:00 बजे सभी फायदा ग्राहियों को इसके संबंध में सलाह दी जाएगी। फायदाग्राही इसका अनुमानित भार पैटर्न और अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता जिसमें द्विपक्षीय आदान–प्रदान भी सम्मिलित है, कर पुनर्विलोकन करेंगे तथा एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक के आई.ए.एस.जी.एस. के लिए उनकी निकासी अनुसूची के बारे में 1:00 बजे दोपहर तक सलाह देगा जिसमें वे द्विपक्षीय आदान–प्रदान, अनुमोदित अल्पकालीन द्विपक्षीय आदान–प्रदान तथा द्विपक्षी अंतर विनिमय के आगे के दिन के लिए खुली पहुंच तथा अनुसूचीकरण हेतु संयुक्त अनुरोध करेंगे।

(5) परन्तु, यह कि अन्तर–राज्यिक संयोजनों के माध्यम से संयत्रवार निकासी/द्विपक्षी विनिमय हेतु फायदाग्राही की हकदारी, यदि परिचालनात्मक रूप से सुविधाजनक व शोध्य है, तो यह एस.एल.डी.सी. द्वारा एक साथ निर्धारित की जाएगी।

(6) फायदाग्राही एस.एल.डी.सी. को ऐसे स्थायी आदेश भी देंगे कि एस.एल.डी.सी. फायदाग्राहियों के लिए निकासी सूची के लिए स्वयं विनिश्चय कर सकेंगी।

(7) प्रत्येक दिन 6:00 बजे तक, आर.एल.डी.सी. द्वारा सूचित रूप में राज्य हेतु प्रेषण अनुसूची तथा शुद्ध निकासी अनुसूची पर विचार करने के पश्चात् एस.एल.डी.सी.:–

(i) अगले दिन के लिए, विभिन्न घण्टों हेतु एम.डब्ल्यू. में प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. को एक्स ऊर्जा संयत्र ''प्रेषण अनुसूची'' के बार में बतलाएगा। सभी फायदाग्राहियों को दी गयी एक्स ऊर्जा संयत्र निकासी अनुसूची की अंतिम सलाह एक्स ऊर्जा संयत्र ऊर्जा केन्द्रवार प्रेषण अनुसूची को बताएगी।

(ii) अगले दिन के लिए, विभिन्न घण्टों के लिए प्रत्येक ग्राही हेतु ''कुल निकासी अनुसूची'' को बताएगा। पारेषण हानियों में कटौती करने के पश्चात् (अनुमानित) सभी आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. के लिए स्टेशनवार एक्स ऊर्जा संयत्र निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर विनिमय के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रिड की निकासी अनुसूची के बारे में बताएंगे।

(8) जब आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. के लिए उपरोक्त दैनिक प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय एस.एल.डी.सी. यह सुनिश्चित करेगा कि यह प्रचालनात्मक रूप से युक्तियुक्त है, विशेषकर अनियंत्रित घटती/बढ़ती दरों तथा अधिकतम व न्यूनतम उत्पादन केन्द्रों के बीच अनुपात के अनुसार है। 200 मेगावाट प्रति घण्टे की अनियंत्रित दर आई.ए.एस.जी.एस. तथा राज्य संघटकों के लिए साधारणतः स्वीकार्य होनी चाहिए। सिवाय उन हाइड्रो विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जो तीव्र दर पर अनियंत्रित बढ़ती/घटती दर के लिए समर्थ हो सकेंगे।

(9) फायदाग्राही/आई.ए.एस.जी.एस. स्टेशनवार निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर विनिमय/अनुमानित क्षमताओं, यदि कोई हों, में किये जाने वाले किन्हीं उपांतरणों/परिवर्तनों के बार में एस.एल.डी.सी. को सांय 9:00 बजे तक सूचित करेंगे।

(10) ऐसी जानकारी की प्राप्ति पर एस.एल.डी.सी. संबंधित संघटकों से परामर्श करने के पश्चात् प्रत्येक फायदाग्राही को अंतिम ''निकासी अनुसूची'' तथा प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस. को अंतिम प्रेषण अनुसूची रात 11:30 बजे तक जारी करेगा।

(11) और, अगले दिन के लिए पहले से पता अधिशेषों के आधार पर, संघटक द्विपक्षीय आदान–प्रदान के लिए व्यवस्था कर सकेंगे, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए अनुसूचियों के बार में एस.एल.डी.सी. को रात 9:00 बजे तक सूचित किया जाएगा, जो 11:30 बजे रात्रि तक अंतिम प्रेषण/निकासी अनुसूचियों को जारी करते समय इन तय करारों की गणना में लेगा, परन्तु जो पारेषण अवरोधों को बढ़ावा नहीं देंगे व आर.एल.डी.सी. को जिन पर आपत्ति नहीं होगी।

(12) उपरोक्त निकासी तथा प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, एस.एल.डी.सी. यह भी जांच करेगा कि ऊर्जा प्रवाह के परिणाम स्वरूप किन्हीं पारेषण अवरोधों में वृद्धि नहीं होती है। यदि किसी अवरोध का पता चलता है, एस.एल. संबंधित संघटकों को सूचना देते हुए अपेक्षित सीमा तक अनुसूचियों को संतुलित करेगी। ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा में किसी भी परिवर्तन को, जो बहुत तेजी से होता है या अस्वीकार्य वृहद् उपायों में सम्मिलित होता है, एस.एल.डी.सी. उपयुक्त रैम्प में संपरिवर्तित कर सकेगा।

(13) यूनिट के प्रबलित आउटेज की दशा में, एस.एल.डी.सी. पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लॉक को जिसमें आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा पुनरीक्षण किये जाने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना में लेते हुए छटे समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएगी।

(14) ग्रिड राज्य पारेषण उपयोगिता या किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जो उत्पादन में आवश्यक कमी करने के लिए प्रदेशान्तर्गत पारेषण (एस.एल.डी.सी. द्वारा यथा प्रमाणित) में अन्तर्वलित हों, के स्वामित्वाधीन किसी पारेषण प्रणाली, सहबद्ध स्विचयार्ड और उपकेन्द्रों में किसी अवरोध, आउटेज, असफलता तथा परिसीमा के कारण ऊर्जा के निकास में अवरोध की दशा में, एस.एल.डी.सी. अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो ऐसे समय ब्लॉक, जिसमें ऊर्जा के निकास में अवरोध पहली बार उत्पन्न हुए हो, की गणना करते समय छटे ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगे और ऐसे घटना के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवे समय ब्लॉक के दौरान ए.आई.एस.जी.एस. का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा तथा फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा।

(15) किसी ग्रिड बाधा की दशा में सभी ए.आई.एस.जी.एस. का अनुसूचित उत्पादन तथा सभी फायदाग्राहियों का अनुसूचित निकासी ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समय ब्लॉकों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किये जाने के लिए पुनरीक्षित की गयी समझी जाएगी। ग्रिड बाधा तथा उसकी अवधि का प्रमाणन एस.एल.डी.सी. द्वारा किया गया समझा जाएगा।

(16) आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण तथा दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्राहियों द्वारा अध्यपेक्षा की अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात की जाएगी। ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित क्षमताएं उस समय ब्लॉक, जिसमें एस.एल.डी.सी. में एक बार पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ हो, को गणना में लेते हुए आठवें समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगे।

(17) यदि किसी समय बिंदु पर, एस.एल.डी.सी. समझता है कि बेहतर प्रणाली ऑपरेशन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है तो वह स्वयं ऐसा कर सकेगा और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लॉक, जिसमें एस.एल.डी.सी. द्वारा एक बार अनुसूची को पुनरीक्षित किया गया है, को गणना में लेतु हुए, छठे समय ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगी।

(18) तुच्छ पुनरीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए एस.एल.डी.सी. अपने एकमात्र विलेख से पूर्व अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से अन्यून अनुसूची/क्षमता प्रभारों को स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा।

(19) प्रचालन दिन के 24 घण्टे की समाप्ति के पश्चात् दिन के दौरान अंतिम रूप से लागू अनुसूची (उत्पादन की प्रेषण अनुसूची) में तथा फायदाग्राहियों की निकासी अनुसूची में परिवर्तन को ध्यान में

रखते हुए एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी की जाएगी। ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर होंगी। प्रत्येक ए.आई.एस.जी.एस. के लिए औसत एक्त बस क्षमता को एस.एल.डी.सी. की सलाह के आधार पर निकाला जाएगा।

(20) एस.एल.डी.सी. सभी उपरोक्त जानकारी, अर्थात् उत्पादन केन्द्रों द्वारा केन्द्रवार अनुमानित एक्स ऊर्जा संयत्र क्षमता सलाह, फायदा ग्राहियों द्वारा विवेचित निकासी अनुसूचियों, एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी सभी अनुसूचियों तथा उपरोक्त के सभी पुनरीक्षणों /अद्यतनों का प्रलेखन करेगा।

(21) एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी अनुसूचीकरण तथा अंतिम अनुसूचियों की प्रक्रिया किसी जांच/सत्यापन के लिए 5 दिनों के लिए सभी संघटकों हेतु खुली रहेगी। यदि किसी त्रुटि/लोप का पता लगता है तो एस.एल.डी.सी. तत्काल उस की पूरी जांच करेगा तथा उसे दूर करेगा।

(22) आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय एक मेगावाट और एक मेगावाट घण्टे सभी हकदारियों तथा अध्यपेक्षाओं का प्रस्ताव किया जा सकेगा तथा अनुसूचियों को 0.7 मेगावाट के प्रस्ताव के लिए निकटतम दशमलव में पूर्णांकित किया जाएगा।

5.6 रिएक्टिव ऊर्जा तथा वोल्टता नियन्त्रण :

(1) रिएक्टिव ऊर्जा प्रतिकर को यथासंभव रिएक्टिव ऊर्जा खपत को स्थानीय रूप में रिएक्टिव उत्पादन करने वालों द्वारा सामान्य रूप से आदर्शतः प्रदान किया जाना चाहिए। अतः फायदाग्राहियों से आशा की जाती है कि सामान्य ए.वी.आर. प्रतिकर/उत्पादन प्रदान करें जिससे कि वे ई.एच.वी. ग्रिड से विशेषकर निम्न वोल्टता की दशा में ए.वी.आर. की निकासी न कर सकें। तथापि वर्तमान परिसीमाओं पर विचार करते हुए, इसके लिए जोर नहीं दिया जा रहा है। फायदाग्राहियों द्वारा ए.वी.आर. निकासियों को हतोत्साहित करने के बजाए आई.एस.टी.एस. के ए.वी.आर. विनियमों की निम्नलिखित रूप में कीमत तय की जाएगीः—

(i) फायदाग्राही ए.वी.आर. निकासी के लिए तब संदाय करेंगे जब मीटरिंग बिन्दु पर वोल्टता 97 प्रतिशत से कम हो।

(ii) फायदाग्राही को ए.वी.आर. रिटर्न के लिए संदत्त किया जाएगा जब वोल्टता 97 प्रतिशत से कम हो।

(iii) फायदाग्राही को ए.वी.आर. निकासी के लिए तब संदाय किया जाएगा जब वोल्टता 103 प्रतिशत से अधिक है।

(iv) फायदाग्राही ए.वी.आर. रिटर्न के लिए तब संदत्त करेंगे जब वोल्टता 103 प्रतिशत से अधिक है।

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

परन्तु यह कि ए.आई.एस.जी.एस. से सीधे मिलने वाली अपनी स्वयं की लाईन पर फायदाग्राही द्वारा वी.ए.आर. निकासी/रिटर्न के लिए कोई प्रभार/संदाय नहीं किया जाएगा।

(2) ए.वी.आर.के. लिए प्रभार/संदाय उस तिथि से प्रवृत्त होगा व उस नाममात्र पैसा/के.वी.आर. दर पर होगा जैसाकि समय–समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ए.वी.आर. अंतर विनिमय के लिए फायदाग्राही तथा राज्य पूल खाते के बीच होंगी।

(3) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, एस.एल.डी.सी. ग्रिड की सुरक्षा की दशा में या किसी उपकरण की सुरक्षा को खतरे की दशा में अपने ए.वी.आर. निकासी/इंजैक्शन में कमी करने के लिए फायदाग्राही को निर्देश दे सकेगा।

(4) साधारणतः फायदाग्राही, जब वोल्टता 95 प्रतिशत से नीचे रेटिंग की जाती है, अंतरविनिमय पर ए. वी.आर. निकासी को कम करने का प्रयास करेगा और ए.वी.आर. को तब वापस नहीं करेगा जब वोल्टता 105 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। अपने–अपने निकासी बिन्दु पर आई.सी.टी. टेप को एस.एल.डी.सी. को फायदाग्राही के अनुरोध के अनुसार ए.वी.आर. अंतर विनिमय का नियंत्रण करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा, किन्तु यह सब युक्तियुक्त अंतरालों पर किया जाएगा।

(5) संपूर्ण ग्रिड के सभी 400 के.वी.एस. तथा लाईन रिएक्टर्स की स्विचिंग इन/आउट एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों के अनुसार की जाएगी। सभी 400/200/132 के.वी. आई.सी.टी. पर टैप परिवर्तन भी एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों पर ही किया जाएगा।

(6) आई.ए.एस.जी.एस., एस.एल.डी.सी. के अनुदेशों के अनुसार, अपने–अपने उत्पादन यूनिटों की क्षमता सीमाओं के भीतर रिएक्टिव ऊर्जा को उत्पादित/आमेलित करेगा अर्थात् जो उस समय अपेक्षित सक्रिय उत्पादन को बंद किये बिना है। ऐसे वी.ए.आर. उत्पादन/सम्मेलन के लिए उत्पादन कंपनियों से कोई संदाय नहीं लिया जाएगा।

(7) दो फायदाग्राहियों के बीच उनके स्वामित्वाधीन (संयुक्त या एकल) अंतर संयोजन लाईन पर प्रत्यक्ष वी.ए.आर. विनिमय से साधारणतः क्षेत्रीय ग्रिड के वोल्टता प्रोफाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तदनुसार ऐसी लाईनों पर ए.वी.आर. विनिमय से प्रबंधन/नियंत्रण तथा वाणिज्यिक उठाई–धराई प्रत्येक अलग–अलग मामले के आधार पर निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार होगीः–

(i) दो संबंधित फायदाग्राही अंतर संयोजन लाईन पर उनके बीच वी.ए.आर. विनिमय के लिए कोई प्रभार/संदाय के लिए परस्पर करार नहीं कर सकेंगे।

(ii) दो संबंधित फायदाग्राही ए.आई.एस.टी.एस. के साथ वी.ए.आर. विनिमय के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पहचान या अंतर के लिए उनके बीच वी.ए.आर. विनिमय के लिए संदाय दर/स्कीम को स्वीकार करने पर परस्पर सहमत नहीं हो सकेंगे।

(iii) यदि संबंधित फायदाग्राहियों के बीच असहमति होने की दशा में (अर्थात् एक पक्षकार वी.ए. आर. विनिमय के लिए प्रभार/संदाय करना चाहता है और दूसरा पक्षकार उस स्कीम से इन्कार करना चाहता है) तो अनुसूची–2 में यथा विनिर्दिष्ट स्कीम लागू होगी। प्रति के.वी. आर.एच. दर ए.आई.एस.टी.एस. के बीच और वी.ए.आर. विनिमय के लिए आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दर होगी।

(iv) ऐसे वी.ए.आर. विनिमय की संगणना तथा संदाय से दो फायदाग्राहियों के बीच तय पारस्परिक करार प्रभावित होगा।

परिशिष्ट–1

(विनियम 5.1 (**iv**) निर्दिष्ट)

सम्पूरक वाणिज्यिक तंत्र

(उस तिथि से लागू, जो अन्तरराज्यीय ए.बी.टी. के प्रारम्भ होने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की जाए)

(1) फायदाग्राही आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, अनुसूचित प्रेषण के लिए संयंत्र उपलब्धता और ऊर्जा प्रभारों के तत्स्थानी क्षमता प्रभार अपने–अपने आई.ए.एस.जी.एस. को संदाय करेंगे। इस प्रभारों के लिए बिलों को मासिक आधार पर प्रत्येक फायदाग्राही को अपने–अपने आई.ए.एस.जी.एस. द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) सभी फायदा ग्राहियों से उपरोक्त दो प्रभारों की राशि की प्रतिपूर्ति दी गयी प्रेषण अनुसूची के अनुसार उत्पादन के लिए आई.ए.एस.जी.एस. को पूर्णतः की जाएगी। प्रेषण अनुसूची से विचलन की दशा में, संबंधित आई.ए.एस.जी.एस. को एम.आई. तत्र के माध्यम से अधिक उत्पादन के लिए अतिरिक्त संदत्त किया जाएगा। दी गयी प्रेषण अनुसूची से नीचे किये जा रहे वास्तविक उत्पादन की दशा में, जब व जहां आयोग द्वारा अनुमोदित होने पर संबंधित आई.ए.एस.जी.एस. उत्पादन में कमी के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से पुनः संदाय करेगा।

(3) प्रत्येक आई.ए.एस.जी.एस./आई.एस.जी.एस. से केन्द्रवार एक्स ऊर्जा संयत्र प्रेषण अनुसूचियों के संकलन तथा प्रत्येक फायदाग्राही के किसी द्विपक्षीय अन्तर विनिमय के पारेषण हानियों के लिए समायोजित किया जाएगा और इस प्रकार संगणित कुल निकासी अनुसूची की तुलना फायदाग्राही की वास्तविक कुल निकासी के साथ की जाएगी। अधिक निकासी की दशा में, फायदाग्राही से अधिक ऊर्जा के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है। कम निकासी की दशा में, निकासी न की गयी ऊर्जा के लिए यू.आई. तंत्र के माध्यम से फायदाग्राही को पिछला संयत्र किया जाएगा।

(4) जब संघटक से अनुरोध प्राप्त होता है तब एस.एल.डी.सी. राज्य के भीतर या राज्य की सीमाओं के आस–पास अवस्थित विक्रेता/क्रेता और अनुसूचित अन्तर विनिमय की व्यवस्था करने वाले संघटक की सहायता करेगा। एस.एल.डी.सी. केवल सुसाध्य बनाने वालों के रूप में कार्य करेगा (न कि व्यापारी/ब्रोकर के रूप में) और दो पक्षकारों के बीच हुए करार के अधीन दायित्व माना जाएगा सिवायः–

(i) यह अभिनिश्चित करते हुए कि किसी अन्य संघटक की ऊर्जा प्रणाली के संघटक ऐसे अन्तर विनिमय/व्यापार द्वारा अधिक प्रभाव पड़ेगा।

(ii) संबंधित संघटकों के लिए अन्तर विनिमय अनुसूचियों में तय अन्तर विनिमय/व्यापार को समामेलित करेंगे।

(5) राज्य संघटकों व आर.ई.ए. द्वारा वास्तविक निकासी/इन्जैक्शन्स के आधार पर राज्य ऊर्जा लेखा व यू.आई. प्रभार विवरण साप्ताहिक रूप से तैयार किये जाएंगे तथा इन्हें पिछले रविवार के तुरन्त पश्चात् के रविवार की अर्द्धरात्रि पर समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि हेतु सोमवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा। यू.आई. प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटक एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रचालित राज्य यू.आई. पूल खाते में जारी विवरण के सात दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। उस अभिकरण जिसे यू.आई. प्रभारों के मद्दे धन प्राप्त करना है, को तब पांच कार्यदिवस के भीतर राज्य यू.आई. पूल खाते से संदत्त किया जाएगा।

(6) एस.एल.डी.सी. ऐसे सभी संघटकों को, जिनके पास कम/उच्च वोल्टता की स्थिति के अन्तर्गत रिएक्टिव ऊर्जा की कुल निकासी/इंजैक्शन है, वी.ए.आर. प्रभारों के लिए साप्ताहिक विवरण भी जारी करेगा। इन संदायों को भी उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित संघटक जारी विवरण के सात दिन के भीतर एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रचालित राज्य रिएक्टिव खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे। ऐसे संघटक को जिसे वी.ए.आर. प्रभारों के मद्दे धन प्राप्त करना है। पांच कार्य दिवस के भीतर राज्य रिएक्टिव खाते में से संदत्त किया जाएगा।

(7) यदि उपरोक्त यू.आई. तथा वी.ए.आर. को प्रति दो दिन, अर्थात् संदायों में जारी विवरण से नौ दिन में बाद से अनाधिक तक विलम्ब किया जाता है तो व्यतिक्रमी संघटक को विलम्ब के लिए प्रत्येक दिन के लिए 0.

04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा। इस प्रकार एकत्रित ब्याज को ऐसे संघटकों को संदत्त किया जाएगा जिन्हें उस संदाय की रकम प्राप्त करनी थी, जो विलम्ब से प्राप्त हुई थी। लगातार संदाय में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, को उपचारात्मक कार्यवाही आरम्भ करने के लिए एस.टी.यू. को एस.एल. डी.सी. द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा।

(8) प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक सभी वी.ए.आर. प्रभारों का संदाय करने के पश्चात् राज्य रिएक्टिव खाते में रखे अधिशेष धन एस.एल.डी.सी. प्रचालकों के प्रशिक्षण के लिए और वैसे ही प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जो अपने–अपने राज्य ग्रिडों के प्रचालन में सुधार करने/कारगर बनाने में सहायता करेगा जैसा समय–समय पर अपने एस.टी.यू. द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(9) यदि राज्य ग्रिड की वोल्टता प्रोफाइल में उस सीमा तक सुधार होता है कि सप्ताह के लिए राज्य वी.ए.आर. प्रभार खातों से कुल संदाय उस सप्ताह के लिए संदत्त की जा रही कुल रकम से अधिक है और यदि राज्य रिएक्टिव खातों में घाटे को पूरा करने के लिए कोई अतिशेष नहीं है तो उपरोक्त खाते में उपलब्ध कुल धन के अनुसार आनुपातिक रूप से धन में कमी की जाएगी।

(10) एस.एल.डी.सी., जी.सी.सी. की बैठक में राज्य यू.आई. लेखा व राज्य रिएक्टिव ऊर्जा लेखा का पूर्ण विवरण तिमाही आधार पर रखेगा।

(11) सभी 15 मिनट के ऊर्जा आंकड़े (कुल अनुसूचित, वास्तव में मीटरित तथा यू.आई.) को निकटतम 0.01 एम. डब्ल्यू.एच. से पूर्णांकित किया जाएगा।

परिशिष्ट–2

(विनियम 5.6 (7) (**iii**) निर्दिष्ट)

फायदाग्राही के स्वामित्व वाली लाइनों पर रिएक्टिव ऊर्जा विनियमों हेतु भुगतान

केस–1:–

फायदाग्राही–ए के स्वामित्व वाली अन्तः संयोजक लाईनें

मीटरिंग बिन्दुः फायदाग्राही–बी का उपस्टेशन

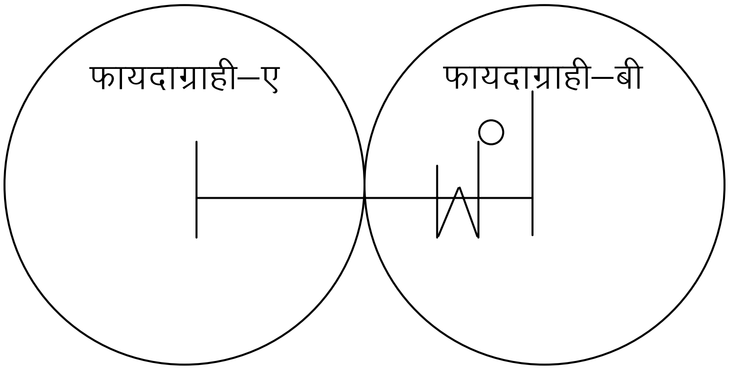

केस–2:–

राज्य–बी के स्वामित्व वाली अन्तः संयोजक लाईनें

मीटरिंग बिन्दुः फायदाग्राही–ए का उपस्टेशन

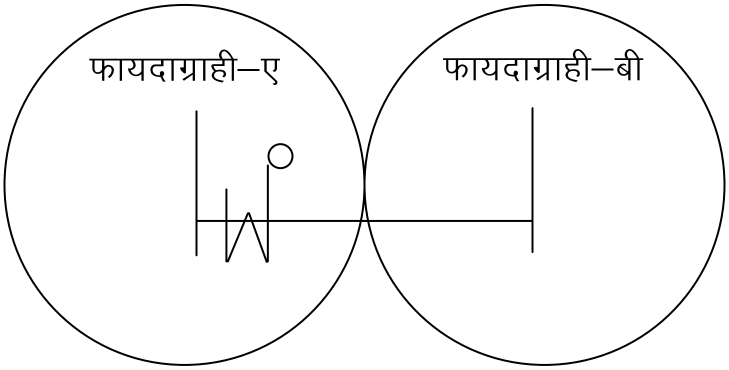

फायदाग्राही–बी को फायदाग्राही–ए निम्नलिखित के लिए भुगतान करता हैः–

(i) 97 प्रतिशत से निम्न वोल्टेज होने पर फायदाग्राही–ए से प्राप्त शुद्ध वी.ए.आर.एच. तथा

(ii) 103 प्रतिशत से अधिक वोल्टेज होने पर फायदाग्राही–ए को आपूर्ति की गयी शुद्ध वी.ए.आर.एच.

केस–3ः–

अन्तः संयोजक लाईन संयुक्त रूप से फायदाग्राही–ए व फायदाग्राही–बी के स्वामित्व में है

मीटरिंग बिन्दुः फायदाग्राही–ए व फायदाग्राही–बी के उपस्टेशन

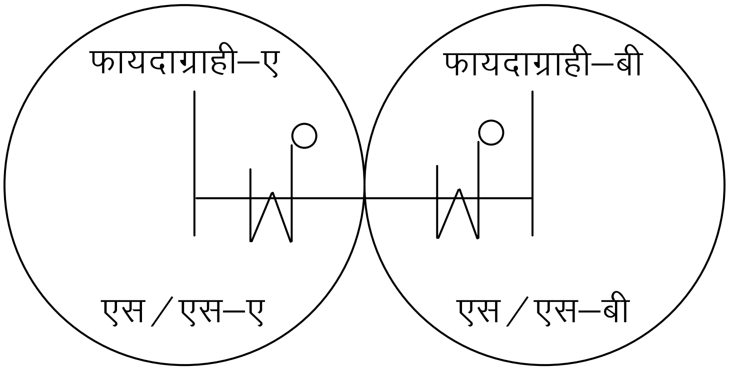

एस / एस–ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज < 97 प्रतिशत = x 1

एस / एस–ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज > 103 प्रतिशत = x 2

एस / एस–ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज < 97 प्रतिशत = x 3

एस / एस–ए से एक्सपोर्टेड कुल वी.ए.आर.एच. जबकि वोल्टेज > 103 प्रतिशत = x 4

i) फायदाग्राही–बी, फायदाग्राही–ए को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैंः–
x 1 या x 3 जो भी आकार में छोटा है।

ii) फायदाग्राही–ए, फायदाग्राही–बी को निम्नलिखित के लिए संदाय करते हैंः–
x 2 या x 4 जो भी आकार में छोटा है।

टिप्पणीः–

1) कुल वी.ए.आर.एच. या कुल संदाय सकारात्मक या नकारात्मक हो सकेगा।

2) यदि x 1 सकारात्मक है व x 3 नकारात्मक है या इसके विपरीत है तो उपरोक्त (i) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।

3) यदि x 2 सकारात्मक है व x 4 नकारात्मक है या इसके विपरीत है तो उपरोक्त (ii) के अधीन कोई संदाय नहीं होगा।

अध्याय 6–मीटरिंग संहिता

6.1 मीटरिंग अपेक्षाएं :

(1) राज्य पारेषण उपयोगिता एक मीटरिंग संहिता विकसित करेगी तथा इसे, इन विनियमों की अधिसूचना से साठ (60) दिन के भीतर अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

किन्तु यह कि ऊपर लिखित मीटर संहिता के विकसित होने तथा आयोग द्वारा अनुमोदित होने तक प्रचलित सुसंगत विधियों के उपबंध लागू होंगे।

(2) मीटरिंग संहिता संयोजन बिन्दु पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किये जाने वाले वाणिज्यिक व परिचालनात्मक उद्देश्य हेतु मीटरों के संस्थापन व परिचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं व मानक उपबंधित करेगी।

परन्तु, यह कि ऐसी अपेक्षाएं, अधिनियम की धारा–55 के अधीन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये अनुसार होंगी। साथ ही यह भी कि, ऐसी अपेक्षाएं किसी ऐसे अन्य बिन्दु पर लागू होंगी जो कि, ऐसे मीटरों द्वारा प्रग्रहित सूचना वाणिज्यिक या परिचालनात्मक उद्देश्य हेतु अपेक्षित होने पर उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा प्रणाली के आंतरिक होगा।

(3) आयोग, राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत मीटरिंग संहिता की समीक्षा करेगा तथा याः–

(i) ऐसी शर्तों या आशोधनों के साथ मीटरिंग संहिता को अनुमोदित करेगा जिन्हें आयोग उचित समझे, या,

(ii) यदि मीटरिंग संहिता, अधिनियम या इन विनियमों या अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप नहीं है तो लिखित में कारण अभिलिखित कर इसे निरस्त करेगा तथा राज्य पारेषण उपयोगिता को एक संशोधित प्रारूप प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।

(4) राज्य पारेषण उपयोगिता, अपने इन्टरनेट वेबसाईट में मीटरिंग संहिता की प्रति डालेगी तथा ऐसी कीमत पर जो इसे प्रत्युत्पादित करने के लिए उचित हो, पर इसके लिए निवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को, लागू संहिता की एक प्रति उपलब्ध कराएगी।

(5) मीटरिंग संहिता, मीटरिंग के स्वामित्व व इसके अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी, संबंधित अभिकरण अर्थात् उपयोगकर्ता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्पष्ट रूप से पहचान करेगी।

(6) मीटरिंग संहिता में निम्नलिखित सम्मिलित होगा व उसका वर्णन होगाः–

(i) मीटरों की अवस्थिति व संस्थापना से संबंधित उपबंध

(ii) मीटरों के लिए विशिष्टताएं व शुद्धता सीमाएं,

(iii) मीटरों से संकलित डाटा के अभिलेखन, संकलन, अन्तरण, प्रसंस्करण व भण्डारण से संबंधित अधिकार, उत्तरदायित्व व प्रक्रियाएं।

(iv) मीटरिंग डाटा के स्वामित्व से संबंधित उपबंध

(v) उपरोक्त शुद्धता सीमा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंधित अभिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली अंशधोशन प्रक्रिया।

(vi) मीटरों का उचित कार्यावस्था में रख–रखाव, मीटरों की सुरक्षा, बदले गये/नये मीटरों का परीक्षण, मीटरों की सीलिंग व मीटरों के परीक्षण से संबंधित प्रक्रिया।

(vii) मीटरों पर पहुंच के अधिकारों से संबंधित उपबंध

(viii) मीटरों में अन्तर, त्रुटिपूर्ण उपकरण व मीटर विफलता को संबोधित करने की प्रक्रिया

(ix) मीटरिंग से संबंधित मामलों पर विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया

(x) राज्य पारेषण उपयोगिता या आयोग द्वारा मीटरिंग संहिता में सम्मिलित करने हेतु उचित समझा गया कोई अन्य पहलू।

अध्याय 7–अन्तर–राज्यिक विनिमय

7.1 प्रस्तावना :

(1) इन लिंक्स के परिचालन हेतु लागू किये जाने वाले विशेष प्रतिफल इस अध्याय में नियत किये गये हैं।

(2) इस अध्याय के अनुबन्ध, परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए एस.टी.यू. (एस.एल.डी.सी. के परिचालक के रूप में) द्वारा अनुपूरित किये जा सकते हैं। अन्य अन्तर–राज्यिक लिंक्स के परिचालन में आने पर इनके संशोधन/अद्यतन की भी आवश्यकता होगी। कुछ समय पश्चात् यह उत्तरदायित्व एस.टी.यू. को अंतरित कर दिया जाएगा तथा एस.जी.सी. से यह अध्याय वापस ले लिया जाएगा।

(3) वर्तमान अन्तर–राज्यिक लिंक्स क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड के साथ एक कालिक ए.सी. लिंक्स हैं, राज्य व उत्तरी ग्रिड के मध्य ऊर्जा अंतर परिवर्तन, राज्य व अन्य क्षेत्रीय संघटकों के सापेक्ष भार उत्पादन पर निर्भर करता है।

7.2 आई ए.एस.जी.एस. का अनुसूचीकरण :

(4) सभी आई.ए.एस.जी.एस. को राज्य के एस.एल.डी.सी. के माध्यम से अनुसूचित किया जाएगा। भले ही अन्य राज्यों में उनके फायदाग्राही हों। दूसरे शब्दों में, एक आई.ए.एस.जी.एस. केवल मेजबान एस. एल.डी.सी. से ही वार्तालाप करेगा। अन्य राज्यों के फायदाग्राहियों के आवंटन हेतु मेजबान एस.एल. डी.सी., एन.आर.एल.डी.सी. के माध्यम से संबंधित आर.एल.डी.सी. के साथ, उनके मध्य तय की गयी रीतियों के अनुसार वार्तालाप करेगा। इसके बाद संबंधित आर.एल.डी.सी., संबंधित फायदाग्राही के एस.एल.डी.सी. से वार्ता करेगा और फिर एन.आर.एल.डी.सी. से पुनः संपर्क करेगा।

(5) एस.एल.डी.सी., यदि संभव हो तो पूल्ड आधार पर वोल्टेज स्तरवार, राज्य के भीतर पारेषण हानियों का आंकलन व प्रभाजन करेगा तथा 0.1 एम.डब्ल्यू. के रिजोल्यूशन के साथ फायदाग्राही की निकासी अनुसूची व अन्तर–राज्यिक अनुसूची के निर्धारण के उद्देश्य हेतु राज्य के बाहर अन्तर–राज्यिक पारेषण हानियां उनमें जोड़ेगा।

7.3 अनुसूचीकरण के उत्तरदायित्व का सीमांकन :

(1) एस.एल.डी.सी., अन्य राज्यों/क्षेत्रों के साथ राज्य के अन्तर परिवर्तनों को अनुसूचित करेगा।

(2) एस.एल.डी.सी., अन्तर–राज्यिक लिंक्स पर एक पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन रखते हुए, अनुसूचित इम्पोर्ट सीमित कर, एन.आर. ग्रिड का ऊर्जा विनिमय अनुसूचित करेगा। यह अन्तर–राज्यिक टाईज पर ऊर्जा प्रवाह को मॉनीटर भी करेगा तथा ओवर लोडिंग की दशा में एन.आर.एल.डी.सी. से कुछ ऊर्जा प्रवाह अपवर्तित/कम करने का निवेदन कर सकता है। यदि अपेक्षित सहायता तत्काल नहीं मिलती है या सम्भव नहीं है तो एस.एल.डी.सी. अपने स्वयं के क्षेत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश देगा।

(3) यह आशा की जाती है कि सामान्य अनुक्रम में उपलब्ध सभी पारेषण तत्वों के साथ राज्य व एन. आर. ग्रिड के मध्य कोई पारेषण अवरोध नहीं होंगे। यदि कोई अवरोध पैदा होते हैं तो आवश्यक होने पर एस.एल.डी.सी., एन.आर.एल.डी.सी. के साथ समन्वय करेगा।

7.4 अनुसूचीकरण तथा यू.आई. लेखांकन के लिए अन्तरापृष्ठ :

(1) वर्तमान राज्य सीमाओं की एक सूची उनकी क्षमताओं, वोल्टेज, विशिष्टताओं इत्यादि के साथ एस.एल.डी.सी. द्वारा तैयार की जाएगी तथा निरंतर अद्यतन की जाएगी जिससे अन्तर–राज्यिक विनिमय का अनुसूचीकरण, मीटरिंग व यू.आई. लेखांकन के लिए अन्तर–राज्यिक लिंक्स की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो सके।

(2) यू.आई. के अन्तर–राज्यिक विनिमय, एन.आर. में यू.आई. दर पर होंगे। अन्तर–राज्यिक विनिमय हेतु भुगतान, राज्य व क्षेत्रीय यू.आई. पूल एकाउन्ट के मध्य होगा। परन्तु, अन्तर–राज्यिक ए.बी.टी. की संस्थापना के पश्चात् राज्य पूल एकाउन्ट परिचालित होने तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी।

(3) अन्तर क्षेत्रीय अनुसूचियों से लिंकवार/अनुसूचियों को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

अध्याय 8–राज्य ग्रिड संहिता का प्रबन्धन

8.1 एस.जी.सी. का प्रबन्धन :

(1) राज्य ग्रिड संहिता (एस.जी.सी.) को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। एस.जी.सी. में कोई संशोधन भी केवल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) राज्य ग्रिड संहिता की, प्रत्येक 12 (बारह) माह में कम से कम एक बार ग्रिड समन्वय समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(3) इस समीक्षा के पूर्ण हो जाने पर ग्रिड समन्वय समिति निम्नलिखित से सम्बन्धित सूचना प्रदान करते हुए राज्य पारेषण उपयोगिता को एक रिपोर्ट भेजेगी:–

   (i) समीक्षा का परिणाम

   (ii) राज्य ग्रिड संहिता में कोई प्रस्तावित संशोधन

(4) राज्य पारेषण उपयोगिता, उपविनियम (3) में उल्लिखित रिपोर्ट आयोग को भेजेगी।

(5) एस.जी.सी. तथा इसके संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा आयोग द्वारा जारी विनियमों हेतु अपनायी जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया क अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(6) एस.जी.सी. में संशोधनों/परिशोधनों तथा कठिनाईयों के दूर करने के अनुरोध आवधिक विचार, परामर्श व निबटारे के लिए आयोग के सचिव को सम्बोधित किये जाएंगे।

(7) एस.जी.सी. की व्याख्या से सम्बन्धित कोई शंका या विवाद आयोग के सचिव को सम्बोधित किये जाएंगे तथा आयोग द्वारा स्पष्टीकरण अन्तिम तथा सभी सम्बन्धितों पर आबद्ध समझा जायेगा।

8.2 संशोधन की शक्ति :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबन्धों को परिवर्तित, परिशोधित या संशोधित कर सकता है।

8.3 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग एक सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध बना सकता है जो कि कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

आयोग की आज्ञा से

(आनन्द कुमार)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

यह विनियम, दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।